कुरुक्षेत्र

संपादकीय

विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

भारत सरकार हमेशा से ही इस बात पर बल देती रही है कि पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से कराए जाएं। परन्तु अधिकतर राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में उदासीनता दिखाती रही हैं और देश में पंचायती राज का छकड़ा जैसे तैसे चलता रहा है। जहां तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को नियमित रूप से कराने का संबंध है, यह कहना अनुचित न होगा कि इनके चुनाव लोक सभा और विधान सभाओं के चुनावों के साथ ही होने चाहिए और इनमें महिलाओं तथा कमजोर वर्ग के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्हें अनिश्चित काल तक मुअत्तिल न किया जाए और न इनमें राजनीतिक हस्तक्षेप को ही अवसर दिया जाए। पंचों और सरपंचों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

नागालैण्ड तथा मेघालय के राज्यों तथा लक्षद्वीप, मिजोरम के केन्द्रशासित क्षेत्रों को छोड़कर पंचायती राज सारे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। 31 मार्च, 1980 को देश में 2,12,248 ग्राम पंचायतें थीं जिनके अंतर्गत 5,94,837 गांव आते हैं।

देश में पंचायती राज की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि ग्रामवासियों को ग्राम्य विकास कार्यों में शामिल किया जा सके, उनके सहयोग से ग्राम्य विकास की योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सके और उनके रूढ़िग्रस्त दिमागों में परिवर्तन लाया जा सके। परन्तु पंचायतें स्वार्थी लोगों के चंगुल में फंस गईं और लड़ाई /झगड़ों का अखाड़ा बन कर रह गई हैं। बाद में उन्हें अधिक सक्षम, सबल और ग्राम्य विकास के लिए अधिक उपयोगी बनाने के ध्येय से बलवन्त राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई, परन्तु वह भी अधिक कारगर सिद्ध न हो सकी। कारण स्पष्ट है कि पंचायती राज को देश के संविधान में समुचित स्थान प्राप्त नहीं है। दूसरे विधायकों और संसद सदस्यों का पंचायती राज संस्थाओं को समुचित अधिकार उपलब्ध कराने के प्रति उपेक्षा भाव रहा। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि ग्राम्य विकास कार्यक्रमों में ग्रामीणों का समुचित सहभाग तभी प्राप्त हो सकता है जब पंचायतों को समुचित अधिकार और संविधान में समुचित स्थान प्राप्त हो और वे सक्रिय हों। लोकतन्त्र की इन बुनियादी इकाइयों को मजबूत बनाने के ध्येय से तथा उनके कार्यक्रमों की जांच करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने हेतु उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति की मुख्य सिफारिशों के आधार पर मई 1979 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया। तदनुसार पंचायती राज का एक आदर्श विधान तैयार करने का सिलसिला जारी है।

पंचायती राज प्रणाली में एक बड़ी भारी कमी यह है कि देश के विभिन्न भागों में इसकी एक रूपता नहीं है। यह जरूरी है कि सभी राज्यों की पंचायती राज प्रणाली में एकरूपता हो। यह तभी संभव है जब संविधान में संशोधन हो और तदनुसार अधिनियम बनाया जाए। जहां तक पंचायती संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का सम्बन्ध है, देश में सभी राज्यों में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अतः जरूरी है कि उनके लिए वित्त के साधन उपलब्ध किए जाएं। दूसरे, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने में सहकारी समितियां अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसी तरह ग्रामीण बैंक भी पंचायतों के विकास कार्य में योग दे सकते हैं। पंचायतों को अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए निष्ठावान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इस समस्या के लिए स्वयं सेवी संगठन आगे आ सकते हैं। अतः इन सभी संगठनों में आपसी तालमेल भी बड़ा जरूरी है।

अभी हाल में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए गए हैं। वैसे तो चुनावों के अवसरों पर हिंसात्मक घटनाएं घटी हैं परन्तु इतनी नहीं जितनी कि पहले इन चुनावों में होती थीं। इन चुनावों के प्रथम चक्र में 60 हजार पांच सौ से अधिक सदस्यों और 2 हजार से अधिक प्रधानों को निर्विरोध चुना गया जबकि दूसरे चक्र में मतदान से पूर्व ही 27381 सदस्यों तथा 620 से अधिक प्रधानों को निर्विरोध चुन लिया गया। इससे लगता है कि अब हमारा ग्रामीण लोकतन्त्र के लिए शिक्षित होता जा रहा है और हमारी पंचायती राज संस्थाएं बल पकड़ती जा रही हैं।

पंचायती राज संस्थाओं की सफलता के लिए प्रशासन की मूल भावनाओं को बदलना होगा और ऐसा विश्वास पैदा करना होगा कि निर्णय का अधिकार जनता को है। राजकीय शक्ति का विकेन्द्रीकरण विकास का साधन ही नहीं, बल्कि लक्ष्य है। □

मज़दूर मंज़िल

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत व्यापार व्यवस्थापक प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

एक प्रति 1 रु० वार्षिक चन्दा 10 रु०

व्यापार व्यवस्थापक: एस० एल० जायसवाल

सहायक व्यापार व्यवस्थापक : एल० आर० बत्रा

सहायक निदशक (उत्पादन) : के० आर० कृष्णन

दूरभाष : 382406

सम्पादक : महेन्द्र पाल सिंह

उपसम्पादक : राधे लाल

आवरण पृष्ठ : पी० के० सेनगुप्ता

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 27 | ज्येष्ठ–आषाढ़ 1904 | अंक 8

इस अंक में — **पृष्ठ संख्या**

सैकड़ों वर्षों की पेयजल समस्या ऐसे मिटी — 2

बालमुकुन्द

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बढ़ते कदम — 4

ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन तन्त्र को चुस्त बनाया जाए — 6

ग्राम विकास और जनसहयोग — 8

बी० आर० सिवाल

राजस्थान में बदलता हुआ ग्राम्य जीवन — 11

जगमोहन लाल माथुर

ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका — 13

अमिताभ तिवारी

समन्वित ग्रामीण विकास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम — 15

रोजगार : आर्थिक और सामाजिक पहलू — 16

डा० ओम प्रकाश शर्मा

स्वयंसेवी संगठन और जनजाति क्षेत्रों का विकास — 20

ओड़ेयार डो० हेगड़े

थारू जनजाति में फैलती नए जीवन की हरियाली — 23

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक — 24

सूर्य दत्त दुबे

ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रबन्ध — 26

के० वेंकट रेड्डी

केन्द्र के समाचार — 30

सहकारिता की दिशा में एक उलेलखनीय उपलब्धि — आवरण पृष्ठ 3

सैकड़ों वर्षों की पेयजल समस्या ऐसे मिटी

बालमुकुन्द

मकर संक्रान्ति की पुण्य बेला में प्रधान-मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की ललक से राष्ट्र को संशोधित बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम दिया । यदि इस कार्यक्रम की क्रियान्विति उचित ढंग से की जाए तो यह कार्यक्रम गांवों तक आर्थिक आजादी और समाजवादी समाज रचना की भावनाओं को पहुंचाएगा । इस पर अब तेजी से अमल करने से नए सामाजिक संबंधों का प्रादुर्भाव होगा और गरीबों, दबे-पिसे लोगों की अब तक छिपी हुई शक्ति देश के ग्रामीण इलाकों के पुनर्निर्माण में लग जाएगी ।

संशोधित आर्थिक कार्यक्रमों का आठवां सूत्र है—"दूर दराज इलाकों में बसे सभी गांवों में पीने के पानी का समुचित प्रबंध हो ।" इस सूत्र पर विचार करता हुआ पिछले दिनों जब मैं मध्य प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम की क्रियान्विति का जायजा ले रहा था, तभी छतरपुर के जिलाधीश श्री एम० आर० गुप्त की पहल मुझे आश्वस्त कर गई कि यदि कुछ निष्ठावान लोग ही इन कार्यक्रमों को अपना लें और दिल से लग जाएं तो बात बनते देर नहीं लगेगी ।

अंधियारा की करुण कथा

...और यह है अंधियारा । मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक छोटा-सा गांव जोकि अपने यथानाम तथा गुण को वर्षों से सही चरितार्थ कर रहा था । बूंद-बूंद स्वच्छ पेय जल के लिए छटपटाता यह ग्राम वर्षों से अंधकार में डूबा रहा । मुझे वहां बताया गया था कि अंधियारा का नाम सुनते ही कुंआरी कन्याएं जीवन भर कुंवारी रह लेने का हठ पालने लगती थीं । पर अंधियारा की बहू बनकर घर-बार बसाने को तैयार नहीं होती थीं । बड़ी अजीब व्यथा थी ग्राम वासियों की । कारण तलाशने लगा, मेरे पत्रकार मन को पता लगा कि गांव में शुद्ध पेयजल का कुआं तक नहीं है । इतना ही नहीं, तीन साढ़े तीन किलोमीटर के क्षेत्र तक कोई भी कुआं नहीं है । पूछताछ पर पता चला कि कई बार पानी खोजियों ने जगह बताई, वहां पर खुदाई की गई पर सारा श्रम बेकार गया । फिर किसी ने दूसरी जगह विपुल जल स्रोत बताया और खुदाई के बाद फिर वही हादसा हुआ ।

200 से भी अधिक घरों की यह बस्ती पानी के लिए परेशान चली आ रही थी । तीन किलोमीटर दूर रानीताल गांव से पानी लाना होता था, तब प्यास बुझने का जुगाड़ होता था । ग्रामवासी स्त्री-पुरुष सिर पर पानी ढोने को विवश थे । सच ही तो कहा है न किसी ने—मरता क्या न करता ? पशुओं के लिए यह समस्या और भी विकट थी । मेरा एक पत्रकार मित्र वीरेन्द्र साहू इस गांव की व्यथा-कथा से परिचित था, इसलिए वह मुझे भी साथ ले गया ।

वीरेन्द्र ने मुझे बताया था कि अंधियारा बहुत पुराना गांव है । यह गौड़ खरोला स्टेट का गांव था । बाद में यह बिजावर रियासत के अंतर्गत आ गया । तब महाराजा सामंत सिंह जी ने अंधियारा के पास एक तालाब तथा एक कुआं बनवाया था । 160 फुट की गहराई पर ही इसमें काफी पानी था । पर इस क्षेत्र में मिट्टी धसकने की बीमारी आमतौर पर है । इससे यह भर गया । ग्रामवासियों ने भी ध्यान नहीं दिया और सामंती शासकों ने भी सुध नहीं ली । फलस्वरूप पेयजल की त्राहि-त्राहि मच उठी फिर से । छुट-पुट प्रयत्न और भी हुए पर 'वही ढाक के तीन के तीन पात' ही रहे ।

आजादी के कई वर्षों तक भी गांव-वासियों की तरफ किसी ने नहीं देखा । सन् 1956 में पहली बार नलकूप खोदने का प्रयत्न हुआ । 150 फुट तक बोरिंग भी की गई, परन्तु पानी नहीं मिला । कई बार प्रयत्न हुए । 1981 तक 16 बार बोरिंग की याद कई ग्रामीणों को है । पर प्रयत्न निरर्थक साबित होते रहे । मुझे याद आयी थी तभी झाबुआ जिले के एक देहात की ऐसी ही व्यथा-कथा । एक विरोधी नेता ने कहा था —"अरे तुम तो बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रमों के कीर्तन में लगे हुए हो । पर धिक्कार है ऐसी शासन व्यवस्था को जो पीने का पानी तक नहीं दिला सके । एक तरफ तो शहरों में सौन्दर्य के नाम पर बेतहाशा खर्च किया जा रहा है, दूसरी ओर ग्रामीण इलाके बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं ।"

विरोधी नेता की टिप्पणी करारी जरूर थी पर गलत नहीं थी । हमारे विकास की कई विसंगतियां इसके लिए दोषी हैं । अंधियारा में इसी वजह से कई लोग अविवाहित ही रह गए थे क्योंकि इस तरह के गांवों में लड़की के माता-पिता इस भय से उसके हाथ पीले नहीं करते कि लड़की जिंदगी भर सिर पर पानी ढोते-ढोते मर जाएगी ।

उन्होंने चुनौती स्वीकारी

नेताओं के आश्वासन ग्रामवासियों को बराबर मिलते रहे । पर ग्रामवासियों की इस समस्या की चुनौती स्वीकारी जिलाधीश श्री एम० आर० गुप्त ने । उन्होंने लगातार प्रयत्न करके 18 नवम्बर, 1981 को यूनिसेफ की बोरिंग मशीन बी--80 से खुदाई का काम करवाना शुरू किया । मुझे एक देहाती छात्र ने बताया कि जब 200 फुट से भी ज्यादा खुदाई के बाद भी पानी नहीं मिला तो इंजी-नियरों ने हाथ ऊंचे कर दिए थे । पर सातवें दिन 290 फुट पर पानी का फव्वारा तेजी से फूटा तो लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा । 10 फुट और खुदाई की गई । पानी का परीक्षण किया गया और जब वह मानव स्वास्थ्य के लिए ठीक बताया गया तो लोगों की आंखों में श्री गुप्त उनके लिए गंगाजल लाने वाले भगीरथ बने ।

जिलाधीश गुप्त की कार्यपद्धति की यह विशेषता आम लोगों में चर्चा का विषय बन

गई। लोग कहने लगे थे कि वे जिस किसी भी विकास के काम को हाथ में लेते हैं, संकल्प के रूप में उसको पूरा करने में जुट जाते हैं।

हमें यह जानकारी भी मिली थी कि वे अंधियारा के अंधकार को भी मिटाने का स्वप्न देख चुके हैं। क्योंकि इस विशाल जल के स्रोत से जल प्रदाय करने हेतु विद्युत का भी इंतजाम किया जा रहा है। इस तरह बिजली की रोशनी से गांव में शिक्षा, लघु उद्योग आदि की रोशनी भी जगमगाएगी।

अंधियारा के 70 वर्षीय एक भूतपूर्व सरपंच ने कहा था :—"पानी मिल गया है इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हो चुके हैं। सिंचाई और बिजली हमारे गांव की काया ही पलट देगी। अभी हमें हाट करने 3 किलो मीटर दूर बिजावर जाना पड़ता है। वह दिन भी कभी आएगा जब हम यहां पर हाट भी लगाएंगे।"

जिलाधीश गुप्त ने बताया कि इस क्षेत्र के मनस्वी ग्रामीणों की जीवट की दाद देनी पड़ेगी जोकि एक से सात किलोमीटर दूर तक की दूरी तय करके पांच सौ से लेकर दो हजार फुट की उंचाई तक वर्षों से पेय जल ढोते आ रहे हैं। मैं विकास के बजट का समुचित रूप से उपयोग पहले पाठापुर, कर्री, गरदाविला, पुरवा, टिपारी, नगदा जैसे अंधियारा के भाई-बंद गांवों की पेयजल समस्या निपटाने में खर्च करुंगा।

सचमुच ही कथनी से नहीं करनी से ही संशोधित बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पूरा हो पाएगा। श्री गुप्त जैसे कर्मठ अधिकारी मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह सक्रिय हो जाएं तो ग्राम विकास की गति बहुत तेज हो सकती है।

प्रकृति ने इस गांव की मिट्टी में गन्ना उत्पादन की महत्वपूर्ण तासीर रखी है। बिना सिंचाई के ही यहां काफी अच्छा गन्ना होता है। गुड़ भी उसका स्वादिष्ट बनता है। अच्छा हो, कृषि एवं सहकारिता विभाग यहां कोई सहकारी उद्योग गन्ने पर आधारित शुरु करे ताकि गांव का अंधियारा सचमुच ही दूर हो सके।

"अब पानी पीने लायक निकल आने से हमारे तो भाग्य ही बदल गए। पीढ़ी दर पीढ़ी का कष्ट भागता नजर आ रहा है।"—सुखसिंह किसी से कह रहा था।

और मेरे कानों में गूंज उठा था प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी का वह कथन कि "उन्नीस सौ पचहत्तर में जब बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई तो मैंने आपको सावधान किया था कि आप इसे जादू न समझें। अब यह गरीबी मिटाने का एक ही जादू है और वह कड़ी मेहनत।"

अंधियारा वासियों की धरती सैकड़ों वर्षों की आस कड़ी, मेहनत और सूझबूझ से ही पूरी हुई है। उम्मीद करनी चाहिए कि वहां 20-सूत्री संशोधित आर्थिक कार्यक्रम सफलता से क्रियान्वित होकर गांव की समृद्धि में नई रंगत भरेगा।

असल में शुद्ध पेयजल हर परिवार की त्वरित आवश्यकता है। उनका यह संकट बड़ा व्यथा पूर्ण है। देश में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोग अपनी कन्याओं का विवाह इसलिए नहीं करते कि उन्हें पीने का पानी 5–7 किलोमीटर दूर से ढोना पड़ता है। कहीं-कहीं तो महिलाओं को बैलों की तरह जुतकर खींचना पड़ता है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और दक्षिण के कई दूर-दराज के देहातों में पेयजल का यह संकट बड़ा गहराता हुआ है। कहीं-कहीं अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने स्थिति की भयावहता को समझ कर साधन जुटाने की पहल की भी है। पर सरकारी योजनाएं जब तक जनता जनार्दन द्वारा पूरी तरह आत्मसात करके लागू नहीं कर ली जाती, समस्या का समाधान सम्भव नहीं है।

छतरपुर (म० प्र०) के अंधियारा, झाबुआ जिले के टाणापुर, रोटला, रजला, पारां-बारां, कट्ठीबाड़ा व पिरोल, कल्याणपुरा, राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, जेसलमेर, कोटा जिले के सहरिया बहुल इलाके, शाहाबाद, किशनगंज व बोरादास, चेचर आदि थे। साथ ही कुम्भाकोट, दरा, मोड़क, रामगंज मंडी आदि की पेयजल व्यवस्थाओं पर जो काम हुए हैं, वे आशान्वित करते हैं कि यदि ईमानदारी से पहल की जाएगी तो पेयजल की कमी बड़ी तेजी से दूर की जा सकती है। इससे देहाती जनता की स्वास्थ्य रक्षा भी होगी और पशुधन भी नष्ट होने से बच सकेगा। संशोधित बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में इसे महत्वपूर्ण मुद्दा रखा गया है। यह हर्ष की बात है।

छठी योजना में प्राथमिकता

वैसे यह खेदजनक स्थिति है कि प्रबल जन-चेतना के बाद भी हम आम लोगों को शुद्ध पानी तक उपलब्ध नहीं करवा सके हैं, पर "देर आयद दुरुस्त आयद"। हम अभी भी इसे ठीक कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी।

छठी पंचवर्षीय योजना में (1980–85) जिसको अंतिम रूप बाद में प्रदान किया जा सका है, समस्याग्रस्त दूर-दराज के बीहड़ इलाकों में बसे गांवों को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई है। इससे जन-जीवन के जीने योग्य साधन के रूप में विशेष उपलब्धि होगी। क्योंकि 'जल है तो जीवन है', वाली कहावत गलत नहीं है।

छठी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए 2007.11 करोड़ रुपये परिव्यय की व्यवस्था की गई है जोकि 5वीं योजना (1974–79) में 429.27 करोड़ रुपये के परिव्यय की अपेक्षा पर्याप्त रूप में अधिक है। चार गुनी इस राशि से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में पर्याप्त सुधार की व्यापक गुंजाइश है।

चूंकि सभी समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल की सप्लाई को नये 20 सूत्री संशोधित आर्थिक कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है, इसलिए इस दिशा में तेजी से कार्यक्रमों की क्रियान्विति की सम्भावना है।

राज्यों की सरकारों से प्राप्त नवीनतम ब्यौरे से यह आभास होता है कि देश में 1-4-1982 को लगभग 2 लाख 31 हजार ऐसे गांव थे जो पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त माने जाते हैं। इन गांवों की प्राथमिकता के आधार पर जलपूर्ति मुहैय्या करना अपेक्षित है। छठी योजना के दौरान सभी चुने गए समस्याग्रस्त गांवों को वर्ष भर स्वच्छ पेय जल का कम से कम संसाधन उपलब्ध करवाने का प्रयास जारी है। इन पंक्तियों के लिए आंकड़े जुटाते वक्त तक वर्ष 1980-81 के दौरान देश के 25,978 समस्याग्रस्त गांवों को जलपूर्ति मुहैय्या करवाई गई है। काफी बड़ी तादाद में गांवों में स्वयं ग्रामीण जनता ग्राम पंचायतों और अन्य स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से इस दिशा में 'अपना हाथ जगन्नाथ' वाली भावना से उठ खड़ी हुई है।

वस्तुतः संशोधित बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम क्रियान्विति ठीक ढंग से तभी होगी जब जनता उठ खड़ी होगी। उसकी सफल क्रियान्विति पर ही ग्रामीण अभ्युदय निर्भर करता है। श्रीमती गांधी ने ठीक ही कहा है— कोई जादू नहीं है, असली जादू है—कड़ी मेहनत। हम सब कड़ी मेहनत करके ही समस्याग्रस्त गांवों के लिए 'नए भगीरथ' बन सकते हैं। ●

द्वारा : विश्लेषण प्रकाशन सेवा,
म० न० 21/144, श्रीपुरा,
पो० कोटा-324006 (राज०)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बढ़ते कदम

समन्वित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत योजनाओं के अनुमोदन हेतु महाराष्ट्र के बारे में राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति की बैठक 12 मार्च, 1982 को हुई थी।

आन्ध्र प्रदेश में 13-3-1982 को ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की गई थी। कृषि तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और राज्य सरकार एवं भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

उड़ीसा में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन का 19-3-1982 को भुवनेश्वर में पुनरीक्षण किया गया था। उसमें उड़ीसा की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों ने भाग लिया था। अन्य बातों के साथ-साथ अप्रैल से जून, 1982 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया था। कार्यान्वियन के स्तर और उसकी गति में सुधार लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की गई थी।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु तथा 2 से 4 हक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों द्वारा शुरू किए गए शेष लघु सिंचाई कार्यों को पूरा करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को 5120.095 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई थी। वर्ष 1981-82 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए बंटित कुल धनराशि 12844.935 लाख रुपये है तथा 2–4 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों द्वारा शुरू किए गए लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए 205.99 लाख रुपये है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित राज्य सरकारों को 990.00 लाख रुपये की धनराशि तथा 16,600 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा बंटित की गई है।

राज्य का नाम	बंटित धनराशि (लाख रुपये में)	बंटित खाद्यान्न (मीटरी टन)
1. गुजरात . .	280.00	4,600
2. महाराष्ट्र . .	710.00	12,000
योग . .	990.00	16,600

इस प्रकार, 1981-82 के दौरान अब तक 16,694.00 लाख रुपये की धनराशि तथा 2,77,850 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा बंटित की गई है।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों को 1117.331 लाख रुपए की धनराशि बंटित की गई है:—

राज्य का नाम	बंटित धनराशि (लाख रुपये में)
1. आन्ध्र प्रदेश . . .	214.700
2. बिहार	26.550
3. गुजरात	55.460
4. जम्मू तथा कश्मीर . .	66.690
5. कर्नाटक . . .	22.047
6. मध्य प्रदेश . . .	84.630
7. महाराष्ट्र . . .	47.050
8. उड़ीसा	50.000
9. राजस्थान . . .	176.860
10. तमिलनाडु . . .	59.812
11. उत्तर प्रदेश . . .	213.532
12. पश्चिम बंगाल . . .	100.000
योग . . .	1117.331

मरुभूमि विकास कार्यक्रम

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों को 220.493 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है:—

राज्य का नाम	बंटित धनराशि (लाख रुपये में)
1. गुजरात . . .	14.540
2. हरियाणा . . .	2.500
3. हिमाचल प्रदेश . . .	25.000
4. जम्मू तथा कश्मीर . .	4.275
5. राजस्थान . . .	174.178
योग . .	220.493

युवकों को प्रशिक्षण देने की योजना

ट्राइसेम से सम्बन्धित केन्द्रीय परियोजना संचालन समिति की 8वीं बैठक अतिरिक्त सचिव (ग्रा० वि०) की अध्यक्षता में 27 मार्च, 1982 को हुई थी।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत विद्यमान आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्रीय संस्थानों को 35.48 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

मुल्यांकन

समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाई गई मुसारी तथा अधोरा परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्टों के सम्बन्ध में दिनांक 29 मार्च, 1982 को अतिरिक्त सचिव (ग्रा० वि०) की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार कार्यक्रम को आगे जारी रखने की आवश्यकता पर विचार करेगी। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है इस बात पर सहमति हुई थी कि योजना के उद्देश्य समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि जैसी चल रही योजनाओं द्वारा पूरे किए जाएंगे।

अनुसंधान तथा प्रशिक्षण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान ग्रामीण विकास में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए राज्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न राज्यों को 17.53 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान

संस्थान की कार्यवाही परिषद की बैठक कृषि तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 13-3-82 को हैदराबाद में हुई थी। 1982-83 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अनुसंधान परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।

कृषि तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 27-3-82 को हैदराबाद में संस्थान की शासी निकाय की बैठक हुई थी। 1982-83 के लिए प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों, 1980-81 के संस्थान के लेखाओं को अंतिम रूप देना आदि जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर अनेक निर्णय लिए गए थे।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रम तथा गोष्ठियां आयोजित की गई थीं:—

1. ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन के बारे में गोष्ठि
2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित सांख्यिकी के बारे में गोष्ठि
3. कार्यक्रम तैयार करने में जनता की भागीदारी; सामुदायिक संगठनकर्ताओं के लिए अनुस्थापन पाठयक्रम

निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए थे :-

अ. भारत में ग्रामीण विकास-प्रशिक्षण संस्थाओं की निर्देशिका

ब. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए आयोजना।

कार्यशाला

ग्रामीण पुर्ननिर्माण के लिए सूचना आधार तैयार करने के लिए 9 मार्च से 25 मार्च, 1982 तक नई दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। यह अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण पुर्ननिर्माण संगठन द्वारा आयोजित की गई थी तथा इसमें भारत, मिश्र, जोरडन, कोरिया, साईबेरिया, मारिशस फिलीपिन, सियरा लियोन, सुडान तथा सीरिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इथोपिया, ईराक तथा केन्या ने इसमें अपने कागजात भेजे थे परन्तु वे इस कार्यशाला में भाग न लेने के लिए अपने प्रतिनिधि न भेज सके। इस कार्यशाला का उद्घाटन माननीय कृषि, ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया जिन्होंने भारत की ओर से कागजात पेश किए। हरियाणा तथा पंजाब में उत्पादन तथा विकास की प्रक्रिया को देखने के लिए तथा भूमि, जल, पशुओं इत्यादि की उत्पादकता को सुनिश्चित करने तथा गरीबी उन्मूलन के लिए प्रायोगिक कार्य करने में हरियाणा तथा पंजाब विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय खारापानी अनुसंधान संस्थान, करनाल की भूमिका का अध्ययन करने के लिए इस कार्यशाला के प्रतिनिधियों को क्षेत्र दौरों पर ले जाया गया। उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधि मंडल ने "राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के क्षेत्र सर्वेक्षण कार्यों" की जानकारी प्राप्त करने के लिए आगरा का दौरा किया। पंजाब तथा हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालयों के अपने दौरों के समय उन्होंने संकाय सदस्यों से विचार-विमर्श किया तथा ट्राइसेम सहित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र में किए जा रहे कार्य को भी देखा।

जन सहयोग

22 स्वैच्छिक संगठनों को 5,26,977 रुपये की धनराशि बंटित की गई है तथा निम्नलिखित राज्य सरकारों को भी 17,31,400 रुपये की धनराशि बंटित की गई है :

पंजाब	5,64,725 रुपये
हिमाचल प्रदेश सरकार	5,81,425 रुपये
हरियाणा सरकार	5,85,250 रुपये
योग	17,31,400 रुपये

कृषि विपणन

संस्वीकृति समिति ने अपनी 16-3-1982 को हुई बैठक में 4 चुने हुए नियमित बाजारों, पिछड़े क्षेत्रों में 6 थोक

(शेष पृष्ठ 7 पर)

ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनतन्त्र को चुस्त बनाया जाएगा

राज्य सचिव सम्मेलन का निर्णय

गत 22, 23 अप्रैल, 1982 को, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ट्राइसेम (युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने की योजना) के कार्यभारी राज्य सचिवों का दो दिवसीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में सचिवों के अतिरिक्त, प्रबंध निदेशक, ए० आर० डी० सी०, अध्यक्ष, ए० एफ० सी०, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। प्रारम्भ में सम्मेलन के अध्यक्ष (ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव), श्री एम० सुब्रामणियन ने गांवों के गरीबों की गरीबी कम करने के कार्यक्रमों तथा प्रयासों पर समीक्षात्मक प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्यक्रमों के निष्ठापूर्वक कार्यान्वियन की सख्त जरूरत है। उन्होंने इन कार्यक्रमों के प्रशासनतन्त्र को राज्य, जिला तथा खण्ड स्तरों पर मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया। सम्मेलन में जो विचार-विमर्श हुआ और विचार-विमर्श के परिणाम स्वरूप जो निश्कर्ष निकले, उनकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम में समन्वित ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के शामिल किए जाने के साथ-साथ कार्यान्वित करने वाले सभी अभिकरणों द्वारा, जिनमें ऋण देने वाली संस्थाए भी शामिल हैं, कार्यक्रम को अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए जोरदार प्रयास किए गए। जहां तक धन के समुचित उपयोग, ऋण जुटाने, अधिकाधिक परिवारों को शामिल करने और प्रति परिवार धन नियोजन का संबंध है, पहले वर्ष की अपेक्षा 1981-82 में काफी सुधार हुआ है। लेकिन फिर भी आगामी वर्षों में काफी अधिक प्रयासों की गुंजाइश है। सम्मेलन में कुछ ऐसे क्षेत्रों की ओर इशारा किया गया जिन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

संगठनात्मक रुकावटें

सम्मेलन में सभी इस बात पर सहमत थे कि ग्रामीण विकास के लिए, खासकर खण्ड और जिला स्तरों पर मौजूदा प्रशासन-तन्त्र को काफी सबल और चुस्त बनाने की जरूरत है। खण्ड और जिला स्तरों के कर्मचारियों का ढांचा राज्यों में एक जैसा नहीं है और यह महसूस किया गया कि एक उच्च स्तरीय समिति सम्पूर्ण संगठनात्मक प्रश्न का गहराई से अध्ययन करे और वह गरीबी को कम करने के निमित्त कार्यक्रमों को अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कर्मचारियों के एक उपयुक्त ढांचे की सिफारिश करें। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए सबसे बुनियादि जरूरत यह है कि प्रशासन-तन्त्र को चुस्त किया जाए।

1982-83 के लिए कार्यसमय सूची

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1982-83 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन में विभिन्न चरणों को पूरा करने के लिए एक प्रयोगात्मक कार्यसमय सूची तैयार की है। खासतौर से इस कार्य समय सूची में घर-गृहस्थों के सर्वेक्षणों पर आधारित वार्षिक कार्य योजनाओं की तैयारी, ऋण संगठन, शिविर और मेला तथा राज्य स्तरीय समितियों द्वारा खण्ड योजनाओं की स्वीकृति आदि शामिल हैं। सभी इस बात से सहमत थे कि सभी प्राथमिक कार्यवाइयां अगले तीन महीनों में पूरी कर ली जाएंगी और वास्तविक कार्यान्वियन वित्त वर्ष के द्वितीय चौथाई से शुरू हो जाएंगी। राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि कार्यक्रम को अन्तिम चौथाई में धन के लिए दौड़-धूप किए बिना सम गति से कार्यान्वित किया जाएगा। सभी राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र अपनी-अपनी विशेष कार्य समय सूची तैयार करेंगे और मंत्रालय द्वारा निर्धारित व्यापक कार्य रूप-रेखा के अधीन इसे कार्यान्वित करेंगे।

छठी योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक सबसे बड़ा नियोजन कार्यक्रम है और यह संकल्प किया गया कि इस धन नियोजन को सही तरीके से उत्पादक बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। उत्पादकता वर्ष में सभी आवश्यक सहायक प्रबंध और संबंध उपलब्ध करके गांव के गरीबों के फायदे के लिए समन्वित कार्यक्रम को सही ढंग से लागू करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएंगे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन योजनाओं का संगति-करण किया जाएगा और ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिनसे धन के नियोजन से सहायता प्राप्त परिवारों के लिए काफी फालतू चीजें पैदा हो सकें।

ऋण जुटाना

जिला ऋण योजनाएं तैयार करने के संबंध में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने पहले

ही हिदायतें जारी कर दी हैं और यह आश्वासन दिया गया है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण की उपलब्धि में कोई बाधा न आएगी । बैंक लाभ उठाने वालों की अधिक नजदीकी से पहचान करने का काम अपने हाथ में लेंगे । जिला और खण्ड स्तर पर सलाह-मशविरा देने वाली समितियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएंगी । बैंक गांवों के गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संगठनों को भी मजबूत बनाने के लिए सहमत हुए ।

मूल्यांकन और प्रभाव का अध्ययन

चूंकि इस कार्यक्रम के अधीन अधिक परिवार शामिल हो गए हैं और धन नियोजन का स्तर काफी बढ़ गया है, अतः सम्मेलन में यह राय प्रकट की गई कि कार्यक्रमों का मूल्यांकन और उनके प्रभाव का अध्ययन भी हाथ में ले लिया जाए । राज्य के मूल्यांकन-तन्त्र के अलावा, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को भी मूल्यांकन और कार्यक्रमों के प्रभावों के अध्ययन का काम सौंपा जाए ।

सम्मेलन में सामाजिक आदानों की व्यवस्था पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का फायदा उठाने वालों के लिए संरचना आधार के समर्थन की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए गए । यह भी महसूस किया गया कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन हाथ में लिए गए कार्यक्रमों के निमित संरचना आधार उपलब्ध करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाए । इस बात पर भी सब सहमत थे कि अल्पतम आवश्यकता कार्यक्रम का समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे गरीबी कम करने के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ अधिक कारगर तालमेल बैठाया जाए ।

कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समन्वय

इस समय कमजोर वर्गों की सहायता के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं । अनुसूचित जाति तथा जन जाति क्षेत्रों और बंधुआ मजदूरों के पुनर्स्थापन के लिए चलाए जाने वाली योजनाओं को इस तरीके से कार्यान्वित किया जाए कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से कमजोर वर्गों के लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो । सम्मेलन में संबंधित मंत्रालयों से अनुरोध किया गया कि वे इन कार्यक्रमों को अधिक समुचित रूप से क्रियान्वित करने के लिए इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मिलने वाली रियायतों और अनुदानों में संगति लाएं ।

उपलब्धियां

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2 अक्तूबर 1980 से देश के सभी विकास खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है । गरीबी कम करने के कार्यक्रम के नाते इसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है । औसतन 30 लाख परिवारों को एक वर्ष में इस कार्यक्रम में शामिल करना है जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और जन जातियों से लिए जाएंगे ।

वास्तव में 1981–82 का वित्त वर्ष ही पहला पूरा वर्ष है जबकि यह कार्यक्रम देशभर में कार्यान्वित किया जा रहा है । 1981–82 की अवधि में राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र की ओर से 128.45 करोड़ रुपये की धन राशि दी गई जबकि पिछले वर्ष 82.58 करोड़ रुपये की राशि ही उपलब्ध की गई थी । इस कार्यक्रम के लिए बजट में धन की व्यवस्था 1980–81 में 127.8 करोड़ रुपये थी जिसे बढ़ा कर 1981–82 में 153.34 करोड़ रुपये और 1982–83 में 204.48 करोड़ रुपये कर दिया गया । 1981–82 में इस नियत राशि में से 95 प्रतिशत राज्यों को दी गई है ।

1981–82 की अवधि में उपदानों के उपयोग के संबंध में उपलब्धियों में काफी सुधार हुआ है । राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त ताजा रिपोर्टों में बताया गया है कि 1981–82 की अवधि में लक्ष्यभूत गुटों को उपदानों के रूप में 217 करोड़ रुपये दिए गए । 1981–82 की अवधि में 278.26 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में जुटाई गई । कार्यान्वित करने वाले सभी अभिकरणों से अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और यह संभावना है कि 1981–82 की अवधि में वितरित उपदानों की राशि लगभग 250 करोड़ रु० हो जाएगी । इसी अवधि में ऋण जुटाने की राशि लगभग 350 करोड़ रुपये होगी । 1981–82 में सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या 17,13,082 थी जिसमें से 5,83,584 परिवार अनुसूचित जाति और जन जाति के थे । लाभ उठाने वालों में अनुसूचित जातियों और जन जातियों का 34 प्रतिशत था । पूरी सूचना मिलने पर लाभ उठाने वालों की संख्या सम्भवतः 25 लाख हो जाएगी ।

पहले साल की अपेक्षा 1981–82 की अवधि में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभ उठाने वालों को उपलब्ध उपदान और ऋण में काफी सुधार हुआ है । 1980–81 में 1294 रुपये के मुकाबले 1981–82 में प्रति लाभ प्राप्त व्यक्ति के लिए धन नियोजन का स्तर 2888 रुपये था । हर लाभ प्राप्त व्यक्ति की आय को बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन का नियोजन एक शुभ संकेत है । □

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम . . . . [पृष्ठ 5 का शेषांश]

बाजारों तथा 87 प्राथमिक ग्रामीण बाजारों को विकसित करने के लिए 180.50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता मंजूर करने के प्रस्ताव अनुमोदित किए थे।

परियोजना निधिदायी समिति द्वारा अपनी दिनांक 16-3-1982, 22-3-82, 27-3-82 तथा 30-3-82 को हुई बैठकों में कर्नाटक में 236, मध्य प्रदेश में 170, गुजरात में 100, आन्ध्र प्रदेश में 126, बिहार में 40 तथा राजस्थान में 54 ग्रामीण गोदामों के निर्माण के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे।

बंगला देश सरकार के सहयोग से राष्ट्रमंडल, सचिवालय, लंदन द्वारा कोमिला में 22 से 27 मार्च, 1982 तक "ग्रामीण विकास में गरीबी पर केन्द्रित ध्यान तथा लघु किसान ऋण" पर आयोजित कार्यशाला में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस मंत्रालय से एक अधिकारी को भेजा गया था ।□

ग्राम विकास और जन-सहयोग

बी० आर० सिवाल

संकाय, सदस्य राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली

पिछले तीन दशकों के दौरान योजनाबद्ध विकास के द्वारा सरकार ने देहात के गरीब लोगों की दशा सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। गांवों में गरीबी काफी बढ़ी है। विकास कार्यक्रमों के बावजूद आर्थिक विकास का पूरा लाभ गांवों के गरीब वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच पाया? यह सवाल हरेक सम्मेलन, विचारगोष्ठी और कार्यगोष्ठियों में गूंजता रहता है। इसके अनेक कारण दिए जाते रहे हैं। एक प्रमुख कारण विकास कार्यक्रमों में जन-सहयोग का अभाव बताया जाता है। आखिर यह जनसहयोग क्या है? इसकी समस्याएं क्या हैं? हमें जनसहयोग कैसे मिल सकता है? ये हैं कुछ प्रश्न जिन पर इस लेख में विचार किया गया है।

जनसहयोग क्या है

जनसहयोग का अर्थ है लोगों में परस्पर सहायता और सहयोग की भावना जो जन्म देती है विभिन्न सामुदायिक संगठनों और काम करने वाले समूहों के बीच सहयोग को और स्वयंसेवी संगठनों और सरकार के बीच तालमेल को। जहां तक विकास कार्यक्रम का प्रश्न है, जनसहयोग सरकार, स्वयंसेवी संगठन या काम कर रहे जन-समूहों के बीच संयुक्त साझेदारी का रूप ले सकता है। आम तौर पर जनसहयोग से अर्थ समझा जाता है सरकार के साथ जनता का सहयोग, पर यह भ्रामक है। सहयोग या सहकार दो तरफी प्रक्रिया है यानी इसका अर्थ है परस्पर सम्बन्ध। इसका एक रूप परस्पर सहमति से पता लगाए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनता और सरकार का साझेदार के रूप में कार्य करना है। सहयोग सिर्फ सरकार को ही नहीं चाहिए बल्कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार को भी जनता के साथ सहयोग करना चाहिए। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में सरकार उसी तरह जन-भावना का प्रतिनिधित्व करती है जैसे स्वयंसेवी संगठन। इसी प्रकार कार्यरत समूह और जन-संस्थाएं जन भावना की प्रतीक हैं।

जनसहयोग शब्द का अर्थ "स्वैच्छिक कार्य" या "जनता के योगदान" जैसे शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में भाग लेना जनसहयोग का एक रूप है। सामाजिक विकास के कार्यक्रम जनता द्वारा शुरु किए जाते हैं, और चलाए जाते हैं। सामुदायिक संस्थाओं, कार्यरत जनसमूहों, स्वयंसेवी संगठनों और सरकारी एजेंसियों के रूप में जन-भावना का रूप प्रकट होता है। इस प्रकार जनसहयोग एक प्रक्रिया है जिसका आधार है सहयोगात्मक प्रजातंत्र यानि जनता, जनता की स्वयंसेवी संगठनों और सरकारी एजेंसियों द्वारा मिलजुल कर विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी जन-सहयोग की इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है।

योजनाओं के अंतर्गत कार्य

देश में योजना की प्रक्रिया तभी सार्थक हो जाती है, जबकि जनता न केवल विकास योजनाएं बनाने में सहयोग दें बल्कि इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने में भी अपना योग दें। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में इस उद्देश्य के लिए जन-संगठनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। न केवल केन्द्रीय स्तर पर प्रशासनिक तंत्र का विकेन्द्रीकरण किया जाए और स्थानीय स्तर पर तालमेल पैदा किया जाए बल्कि यह देखा जाए कि हर स्तर पर नियोजन और क्रियान्वयन के लिए जनता का पूरा योग मिले।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार योजना का आधार और इसकी शक्ति का स्रोत जन सहयोग था। इसके अनसार योजना चाहे कितनी भी अच्छे ढंग से तैयार की हुई हो उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता स्वयं अपने प्रयासों के द्वारा इसके अमल के लिए पहल करे और इसे पूरा सहयोग दे। बाद की योजनाओं में जन सहयोग का क्षेत्र व्यापक हुआ। आरम्भ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जन-सहयोग लेने पर जोर दिया गया। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमदान, सार्वजनिक कार्यों में छात्रों को शामिल करना, नियोजन मंच और गोष्ठियों के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं सम्बन्धी

जानकारी का प्रसार किया गया। स्थानीय निर्माण कार्यों को हाथ में लिया गया जैसे ग्रामीण औषधालयों, सामुदायिक केन्द्रों, पंचायत घरों, सड़कों और लघु सिंचाई कार्यक्रम को शुरू किया गया। जन सहयोग सभी नीतियों का आधार बन गया। आज कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं जिसमें जनसहयोग पर जोर न दिया जाता हो। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए जन-सहयोग अनिवार्य है। यह बात आज पूरी तरह समझ ली गयी है।

छठी योजना के लक्ष्य

छठी योजना में कृषि और ग्राम विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। छोटे और सीमान्त किसानों और भूमिहीन मजदूरों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। विशेषकर पिछड़ी अनुसूचित जाति और जन-जातियों की दशा सुधारने पर ध्यान दिया गया। विकास कार्यक्रम की नीति है समेकित ग्रामीण विकास (स०ग्रा०वि०)। इस कार्यक्रम का प्रमुख अंग है विकास कार्यों में जनता का सक्रिय सहयोग। यह धारणा बन गयी है कि इस कार्यक्रम को पूरी तरह प्रभावशाली और सफल बनाने के लिए जन सहयोग निहायत जरूरी है। इस उद्देश्य के लिए यह सोचा गया है कि इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं को पूरी तरह शामिल किया जाए। खंड स्तर पर कार्यक्रम तैयार करने में इनका पूरा सहयोग लिया जाए। सभी विकास कार्यक्रमों में जन-सहयोग लिया जाना चाहिए।

छठी योजना (1981-85) के कुछ कार्य इस प्रकार हैं।

(क) वानिकी सहित ऊर्जा के फिर से उपयोग किए जाने वाले स्रोतों का विकास और उनका अधिकतम उपयोग। इसके लिए खंड स्तर पर ऊर्जा संगठन बनाए जाएं।

(ख) परिवार कल्याण; स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा तथा इन्हीं से सम्बन्धित सामुदायिक कार्यक्रम।

(ग) सभी कार्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य।

(घ) जल प्रबन्ध और मिट्टी संरक्षण।

(ङ) कमजोर वर्ग के लिए समाज सुधारक कार्यक्रम।

(च) न्यूनतम आवश्यकता वाले कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(छ) किसी भी संकट का सामना करने की क्षमता और उसका प्रबन्ध।

उपयुक्त क्षेत्रों से सम्बन्धित विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन और पुनर्नवीकरण जरूरी है, ताकि जनता द्वारा स्थानीय संस्थाओं, समूहों और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संगठित रूप से भाग लेने को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ-साथ स्वयं सेवी संगठनों द्वारा स्व-रोजगार और ग्रामीण गरीबों की स्थिति सुधारने वाले कार्यकलाप से विकास कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिल सकेगा। सरकारी एजेंसियों की भूमिका ऐसी होनी चाहिए जिसकी भावना हो अपनी मदद के लिए जनता से मदद लेना। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को अधिक कारगर और उपयोगी बनाया जाए। सम्बन्धित लाभ उठाने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि ये गतिशील प्रायोजनाएं बना सकें और आय के स्रोत ढूंढ सकें। गरीबों की दशा तभी सुधर सकती है जब देश के विकास कार्यक्रमों में व्यापक रूप से जन-सहयोग लिया जाए।

अभी तक विकास कार्यों के लिए सरकार पर निर्भर करने की भावना व्याप्त है। सरकार तो सिर्फ उत्प्रेरक है। लोगों में यह भावना पैदा की जाए कि आत्म-विकास से ही क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं। यह तभी सम्भव है जब जनता समर्पित भाव से विकास कार्यक्रमों में भाग ले।

स्वयंसेवी संगठन

विकास कार्यक्रमों के लिए जन-सहयोग को बढ़ाने में 2,28,593 ग्राम पंचायतें, 4,479 खंड स्तर की पंचायत समितियां, 251 जिला परिषदों के साथ-साथ ग्राम स्तर पर स्वैच्छिक कार्यवाही को गति देने के लिए 55,000 महिला मंडल, 80,000 युवक मंडल और लगभग 10, हजार स्वयंसेवी एजेंसियां कार्य कर रही हैं। ये स्वयंसेवी संगठन कृषि, पशुपालन और पशुधन, ग्रामोद्योगों और अन्य आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को बढ़ाने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, परिवार और बाल कल्याण आदि विकास के विविध क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

स्वैच्छिक कार्य के क्षेत्र में अनेक सफलताएं मिली जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: विस्तृत ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना, जामखेड़, आनन्दवन-वरोरा, किशोर भारती पालिया पिपरिया, आनन्द निकेतन आश्रम-रंगपुर (कावंत), समाज कार्य का अनुसंधान केन्द्र, तिलिनिया, मित्र निकेतन—वेलानाड, भागवतुला धर्मार्थ ट्रस्ट—येल्लामांचिली, भारतीय एग्रो इन्डस्ट्री संस्था—पुणे, वनवासी सेवा आश्रम—गोविन्दपुर, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं—अडियार, समाकलित स्वास्थ्य सेवा परियोजना—मिराज तथा ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में बहुत-सी अनेक नई परियोजनाएं शुरू की गईं। इन स्वैच्छिक एजेंसियों की सफलता के दावों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि केन्द्रीय और राज्य सरकारें तथा अन्य स्वयंसेवी एजेन्सियां अनुभवों का पूरा लाभ उठा सकें।

स्वयंसेवी एजेन्सियां समन्वित ग्रामीण विकास के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ये एजेन्सियां कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विशेषकर निम्नांकित ढंग से सहायता कर सकती हैं:

1. ब्लाक योजना को सूत्रबद्ध करने, परियोजना का ढांचा तैयार करने की योजना बनाने और आर्थिक रूप से गतिशील कार्यक्रमों का पता लगाने में मदद देना।

2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अब सामूहिक आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। समूहों का चयन स्वैच्छिक संगठनों के कार्य क्षेत्र के आधार पर हो सकता है। समन्वित ग्रामीण विकास के लिए छांटे गए समूहों को स्वैच्छिक एजेंसी अपना सकती है।

3. स्वैच्छिक एजेंसियां प्रशिक्षण, क्षमता का पता लगाने के बारे में, कच्चे माल की आपूर्ति विपणन और परिष्कृत उत्पादों की बिक्री में सहायता कर सकती हैं।

4. स्वैच्छिक एजेंसियां कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने में और सम्पदा के उपयोग की पुष्टि में मदद दे सकती हैं।

5. "ट्राइसेम" के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।

6. कुशल कारीगरों को लगा कर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए व उन्हें ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत सहायता का फायदा पहुंचाना। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित सुविधाएं उपलब्ध हैं :–

(क) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रति माह 100 रुपये वजीफा।

(ख) यदि प्रशिक्षण गांव में ही दिया जाता है तो वजीफे की राशि 50 रुपये होगी।

(ग) यदि प्रशिक्षण गांव से बाहर और जहां आवास की सुविधाएं नहीं हैं तो वजीफे की राशि 150 रुपये होगी।

(घ) प्रशिक्षार्थी/प्रशिक्षण संस्थान को प्रशिक्षण व्यय के रूप में प्रति माह 50 रुपये तक दिए जाएंगे।

(ङ) कुशल कारीगरी प्रशिक्षण में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 50 रुपये तक का पारिश्रमिक दिया जाएगा।

(च) कच्चे माल के लिए प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को प्रति माह 25 रुपये दिए जाएंगे परन्तु किसी भी तरह यह राशि प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 20 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(छ) प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को एक उपकरण सेट, जिसका मूल्य 250 रुपये से अधिक न हो, दिया जाएगा।

पंचायती राज संस्थानों की भूमिका

बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट (1958) को ध्यान में रखकर गांव स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना द्वारा लोकतंत्री विकेन्द्रीकरण, द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लोकतंत्र को ले जाया जा सकेगा। ग्रामीण विकास से जुड़ी पंचायती राज संस्थाएं जनता की मजबूत और कारगर संस्थाएं हैं। पंचायती राज संस्थाओं की सफलता के लिए प्रशासन की मूल भावना का बदलना जरूरी है। निर्णय का अधिकार जनता को है ऐसा विश्वास पैदा करना होगा। राजकीय शक्ति का विकेन्द्रीकरण विकास का साधन ही नहीं, बल्कि लक्ष्य है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जनता के सहयोग को सुदृढ़ बनाने और इसकी वर्तमान कार्यप्रणाली के मूल्यांकन के लिए सन् 1977 में श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसने निकायों की निधि और कार्य के बारे में सुझाव देने के साथ-साथ पंचायती राज को खंड स्तर की पंचायत समिति और जिला परिषद् की खंड स्तर की समिति में बदलने और एक प्रमुख कार्यान्वियन साधन के रूप में जिला परिषद् बनाने की सिफारिश की थी।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह सुझाव रखा गया कि पंचायती राज संस्थानों का सहयोग ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विशेषकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में शामिल किया जाए। ये संस्थाएं खंड स्तर की योजनाओं और उनके कार्य क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रमों में भी प्रमुख भूमिका निभा सकेंगी। इसके अलावा ये पंचायती राज संस्थाएं निम्नांकित ग्रामीण क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं :

1. कृषि, पशुपालन, मात्स्यकी, वानिकी, सुधरे बीजों, खाद और उर्वरकों के उपयोग, सुधरे औजारों, खेती की सुधरी विधियों आदि को लोकप्रिय बनाकर।

2. कृषि और पशुपालन विकास से संबंधित संगठित सेवाएं और आपूर्ति का गठन इसमें बीज संवर्धन फार्मों, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों, पशु चिकित्सा औषधालयों की स्थापना और उनके रख-रखाव सहित खरीददारी, सुधरे औजारों का निर्माण व वितरण, कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति भी शामिल है।

3. विभिन्न प्रकार की ऋण और अन्य सुविधाएं जुटाने वाली सहकारी समितियों द्वारा बचत कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

4. कुटीर और लघु उद्योगों का विकास तथा उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्रों का रख-रखाव, शिल्पकारों की जानकारी बढ़ाना।

5. सामाजिक और प्रौढ़ शिक्षा के लिए विद्यालयों को खोलना और चलाना।

6. स्वास्थ्य–टीका लगाना, महामारियों का नियंत्रण, सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना, परिवार कल्याण सेवाएं।

7. समाज कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को प्रेरित करना।

8. आग लगने, बाढ़ आने, सूखा पड़ने, महामारियों अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय आपातकालिक राहत पहुंचाना।

समस्याएं और नीतियां

पिछली पांच योजनाओं के अनुभव और नौकरशाही में अविश्वास के कारण जनता द्वारा योजना कार्यक्रम की उपलब्धि के बारे में संदेह व्यक्त किया जा रहा है। एक आम भावना यह कि योजना के जो कार्यक्रम ग्राम जनता के लाभ के लिए शुरू किए गए वे केवल मात्र अधिकारियों की पदोन्नति, विभागीय तन्त्र बढ़ाने, भ्रष्टाचारी अधिकारियों की जेबें भरने, एक विशेष वर्ग, क्षेत्र या सामाजिक-राजनीति वर्ग को फायदा पहुंचाने का साधन मात्र बन कर रह गए। जब जनता से सहयोग मांगा जाता है तो इस तरह की आलोचना करते हैं। जिस रूप में कार्यक्रम जनता तक पहुंचते हैं उससे उनमें विश्वास नहीं जम पाता। उनका कहना है ये कार्यक्रम जनता के लिए हैं, पर इनके बनाने में जनता का कोई योग नहीं लिया जाता। बिना जनता की इच्छा समझे नीति निर्धारकों को कैसे पता चलता है कि जनता क्या चाहती है।

आम आदमी यह महसूस करता है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में उसकी कोई पूछ नहीं है। वे समझते हैं कि राज्य सरकार के रूप में है जो बहुत शक्तिशाली है, अधिकारियों की फौज है। पेचीदा नियमों का जाल

है। मामूली आदमी सिर्फ अधिकारियों की मर्जी पर रहता है और जीवन यापन करता है। यदा-कदा विभिन्न एजेंसियों और मध्यस्थों के जरिए मामूली फायदे के लिए "सरकार" की कदमबोसी करता है।

जन सहयोग को सार्थक बनाने के लिए चयन का अधिकार जनता को हो। लाभ-लागत के आधार पर विकल्प उन्हें बताए जाएं ताकि अपने जीवन से वे उनका सम्बन्ध जोड़ सकें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन क्या करेगा। यह निर्धारित करने का अधिकार जनता को होगा। योजना का लाभ जनता तक तभी पहुंच सकता है जब हर स्तर पर जनता की इच्छाओं को जाना जाए।

अनुभव बताता है कि जनता तभी सहयोग देती है जबकि उन्हें विश्वास हो जाए कि अमुक कार्यक्रम से उनकी समस्याओं का समाधान होगा। कार्यक्रमों के लिए जनता का सहयोग मांगने में कोई तुक नहीं जब तक कि लोग यह न समझ लें कि इसके व्यावहारिक अमल के निर्णय का अधिकार जनता को होगा। जब लोग यह महसूस करेंगे कि प्रशासन उनकी समस्याओं को समझता है और उनका समाधान करना चाहता है तो वे अपने-आप प्रशासन को सहयोग देंगे। □

अनुवादक : विनय कुमार भटनागर, 317, कृषि भवन, नई दिल्ली।

राजस्थान में बदलता हुआ ग्राम्य जीवन ✻ जगमोहन लाल माथुर

राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी भाग में बीकानेर एक रेगिस्तानी जिला है। शहर से कुछ दूर निकलने के बाद ही बालुई रेत का विस्तार दिखलाई पड़ने लगता है। इसी अंचल में अजमेर आने वाली मुख्य सड़क से कोई 4–5 कि० मी० हटकर एक गांव है—सालेसर। करीब 70 घरों की आबादी वाला यह गांव अब बिल्कुल बदल गया है। दो साल पहले यहां जाने के लिए न कोई सड़क थी और न ही बिजली। यहां की स्त्रियां करीब 5 कि० मी० की दूरी से पानी सिर पर रखकर लाती थीं और वह पानी भी काफी गहराई पर था जिसे खींचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। पिछले दिनों जब मैंने इस गांव की यात्रा की तो देखा कि अधिकांश घर पक्के हो गए हैं। इस गांव के अधिकांश लोग मेघवाल अनुसूचित जाति के हैं और करघे पर ऊनी वस्त्र बुनना और ऊन कातना उनका मुख्य धंधा है। बीकानेर ग्रामीण विकास अभिकरण की एक योजना के अन्तर्गत इन बुनकर परिवारों को करघाघर बनाने के लिए सहायता मिली है। हर बुनकर परिवार को इस योजना के अंतर्गत जिला अभिकरण द्वारा 2250 रुपये की नकद सहायता दी गई और 3000 रुपये बैंक से ऋण दिलाए गए। अब हर परिवार 25 रुपये महीने की किस्त चुका रहा है और उसे पक्का करघाघर उपलब्ध हो गया है। एक बुनकर रामदेव ने अपने ही घर में पक्के करघा कक्ष में कपड़ा बुनते हुए बताया कि इस योजना से हमें सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि अब हम अपना काम लगातार हर महीने दिन-रात बिना रुके कर सकते हैं जबकि कच्ची झोंपड़ियों के कारण हमें आंधी और बारिश के समय काम रोक देना पड़ता था और हम कपड़ा बुनने की बजाए अपनी झोंपड़ियों को ठीक करने में लग जाते थे। अब इस गांव में पानी के नल लग गए हैं। इन नलों के पास ही पक्के हौज भी बना दिए गए हैं जिनमें पशु पानी पीते हैं। चार महीने पहले गांव में बिजली भी पहुंच गई है। अभी बिजली के खम्भे लगे हैं पर किसी घर में बिजली नहीं है। यहां के निवासियों ने बताया कि हम मे से लगभग 35 कनेक्शन लगवाने को तैयार हैं और हमने इसके लिए आवेदन-पत्र भेज दिये हैं। अब यह गांव कंकड़-कुटी सड़क द्वारा मुख्य सड़क से जुड़ गया है। हालांकि कुछ स्थानों पर अभी भी काफी गड्ढे नजर आते हैं पर ऊंट गाड़ियों से सामान लाया-ले जाया जाता है। गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी है। पर इलाज के लिए यहां के लोगों को बीकानेर ही जाना होता है। किसी सचल अस्पताल के आने-जाने के बारे में किसी गांव वाले ने जानकारी नहीं दी।

बापासर गांव सालेसर से काफी बड़ा है। यहां काफी पक्के मकान हैं पर पिछड़े हुए लोगों की हालत में सुधार लाने के लिए हाल ही में कई प्रयास किए गए हैं। उनकी बस्ती में स्वेटर बुनने, सिलाई करने आदि का प्रशिक्षण देने और स्त्रियों को साक्षर बनाने के लिए कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं। बापासर गांव के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने के लिए 90 व्यक्तियों को ऋण दिया गया है और मकान मेरी यात्रा के समय बन रहे थे।

इसी तरह गांव उदेसिया है। वहां के लोग पहले 8 कि० मी० दूर से पानी लाते थे, पर अब नलों से पानी लेते हैं।

बीकानेर क्षेत्र में राजस्थान नहर आने से जो बड़े लाभ हुए हैं, उनमें से एक यह भी है कि भूमिगत जल का स्तर ऊंचा उठ गया है। जिला विकास अभिकरण ने खेतों में जल कुंडों का निर्माण कराकर अच्छी शुरुआत की है। खेतों में ही बनाए गए इन पक्के जलकुंडों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि बारिश का पूरा पानी इनमें इकट्ठा हो सके और वर्षा न होने के मौसम में उस पानी को पीने के काम में या आसपास लगाए पेड़ों को सींचने में इस्तेमाल किया जा सके।

बीकानेर जिले में डेयरी विकास के क्षेत्र में भी काफी अच्छा काम हुआ

है। इस समय बीकानेर में जो डेयरी काम कर रही है, उसकी क्षमता एक लाख लीटर दूध प्रतिदिन की है। इसे बढ़ाकर डेढ़ लाख लीटर प्रतिदिन किया जा रहा है। यहां जून, 1973 में डेयरी सहकारी समितियां बनाने का काम शुरू हुआ था और 8–9 साल की अवधि में 235 समितियां बन चुकी हैं जिनके 15,700 से अधिक सदस्य हैं और 55,000 लीटर दूध प्रतिदिन इकट्ठा किया जाता है।

जिले में कुल मिलाकर 671 गांव हैं जिनमें से 540 आबाद हैं। अब तक 333 गांव में पेयजल की व्यवस्था हो गई है और 80 गांव में यह सुविधा उपलब्ध करने का काम चल रहा है। जहां तक बिजली का सवाल है, दिसम्बर, 1981 तक 283 गांव में बिजली पहुंच चुकी थी।

बीकानेर अंचल में गरीब लोगों की सहायता के लिए स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर ने जो काम किया है, उसकी कुछ झलक मिली लूणकरणसर के आस-पास के इलाके में। दिसम्बर, 1981 के अंत तक बैंक ने 980 पिछड़े हुए परिवारों को करीब 32 लाख रुपये के ऋण दिए हैं। इसमें दुधारु पशु, भेड़, ऊंटगाड़ी, भूमि को समतल करने और मोची, पान की दूकान, टायर मरम्मत की दूकान जैसे छोटे-मोटे काम धंधे शामिल हैं।

बीकानेर जिले में एक अच्छी बात यह भी देखने में आई कि पंचायत समिति के मुख्यालय पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें सभी विभागीय अधिकारी तथा सहायता चाहने वाले लोग वहां आ जाते हैं। राजस्थान में "पिछड़े को पहले" कार्यक्रम के अन्तर्गत भी गरीबों को विभिन्न प्रकार की सहायताएं दी जा रही हैं। शिविर में लोगों से फार्म भरवाकर, उनकी योजनाओं की जानकारी लेकर अधिकारी तुरन्त ही अपना निर्णय वहां बतला देते हैं और अपेक्षित सहायता भी वहां ही दे देते हैं। लूणकरणसर में मैंने एक ऐसा शिविर कार्य करते हुए देखा। अब तक 20000 से अधिक अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण सुलभ किया जा सका है। इन शिविरों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अनपढ़ गांव वाले जिला मुख्यालय में अफसरों के पास बारबार चक्कर लगाने के झंझट से बच जाते हैं।

राजस्थान में यह अनुमान लगाया गया है कि करीब 27 लाख ग्रामीण परिवार गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बिता रहे ह। इस वर्ग में उन परिवारों को गिना गया है जिनकी मासिक आमदनी 65 रु० प्रति व्यक्ति से कम हैं। इन परिवारों में से 16 प्रतिशत अथवा 4.32 लाख परिवार तो ऐसे है जिनकी वार्षिक प्रति व्यक्ति आमदनी 400 रु० से कम है। राज्य में जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत लगभग 3000 ग्रामीण परिवारों को हर विकास खंड से 5 वर्ष की अवधि में लाभान्वित किया जाएगा। इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना में संपूर्ण राज्य के लगभग 7 लाख परिवार जो करीब 26 प्रतिशत हैं, इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकेंगे। राज्य सरकार ने पूरे देश के लिए निर्धारित नीति के अनुसार सबसे पहले उन लोगों को लाभान्वित करने का कार्यक्रम बनाया है, जो सबसे ज्यादा गरीब हैं। अतः प्रयास यह किया गया है कि बहुत गरीब परिवारों को यानी जिनकी प्रति व्यक्ति आमदनी 400 रुपये वार्षिक से कम है, उनकी पहचान की जाए। हर पंचायत स्तर पर ऐसे परिवारों की सूचियां बनाई जा रही हैं। हमें बताया गया है कि इस तरह की सूचियां बनाने का काम पूरा हो चुका है। इस समय राजस्थान में 236 विकास खंड हैं और 2 अक्तूबर, 1980 से जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया था, सभी विकास खंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है।

किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि बाद की निगरानी ठीक तरह से की जाए। इसलिए राज्य सरकार ने लाभान्वित परिवारों के लिए यह व्यवस्था की है कि गांव में काम करने वाले कर्मचारी जैसे कि ग्राम सेवक, पटवारी, प्राथमिक शिक्षक, एक-एक गांव गोद ले लें और लाभान्वित परिवारों से निकट सम्पर्क रखें। अगर लाभान्वित परिवार को कोई कष्ट होता है तो ये संबंधित अधिकारी को तुरन्त इसकी सूचना देंगे।

राज्य में दिसम्बर, 1981 के अंत तक 26 जिलों के 48800 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। इनमें सबसे अधिक संख्या उदयपुर जिले की है। जहां 5172 परिवारों को लाभ पहुंचा है जबकि अलवर जिले में 4900 और झालावाड़ जिले में 4000 परिवारों को लाभ हुआ है।

इसके अलावा, जिले में पहले से ही मरु विकास कार्यक्रम तथा सूखा प्रवण कार्यक्रम के अंतर्गत डेयरी विकास के अलावा बालुई टीलों को स्थिर करने, वृक्षारोपण आदि कार्य भी हुए हैं।

छठी योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि देश भर में लगभग डेढ़ करोड़ अत्यंत गरीब परिवारों को विभिन्न प्रकार की सहायता देकर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाएगा। इसके लिए कुल मिलाकर 750 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान है। इसी उद्देश्य के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार किया गया है और देश के सभी विकास खंडों में चलाया जा रहा है। केन्द्र सरकार के 1982–83 के बजट में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 190 करोड़ रुपये रखे गए हैं जो कि 1981–82 के 145 करोड़ रुपये के मुकाबले 31 प्रतिशत अधिक है। इस राशि की व्यवस्था से अब देश के हर विकास खंड को 8 लाख रुपये मिल सकेंगे जबकि 1981–82 में 6 लाख रुपये मिले थे। इस प्रावधान से 1982–83 में ही करीब 30 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जीवन स्तर सुधारने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार वर्षों से उपेक्षित चले आ रहे ग्रामीण परिवारों के उज्ज्वल भविष्य का दरवाजा खुलेगा। □

ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका

※

अमिताभ तिवारी

हमारा देश भारत मूलरूप से गांवों का देश है जिसके पांच लाख से अधिक गांवों में सम्पूर्ण जनसंख्या का 78 प्रतिशत भाग निवास करता है। यह ग्रामीण समग्र रूप से पिछड़ा हुआ है और इसमें आधारिक नागरिक सुविधाओं यथा सड़कों, नालियों, पीने का पानी, बिजली, संचार की सुविधाओं का अभाव है। इस ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता भी, अपने विकराल रूप में विद्यमान है। सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 48 प्रतिशत भाग निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में आय और सम्पत्ति के वितरण में घोर विषमता विद्यमान है। इन सब कारणों से ग्रामवासियों में नगरों की ओर पलायन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। वे शहरों की चमक-दमक से प्रभावित होकर बेहतर जिन्दगी की तलाश में आते हैं और वहां मलिन बस्तियों में जीवन गुजारते हैं। यही कारण है कि हमारे देश का जन-मानस ग्रामीण विकास के कार्य को तीव्र गति से आगे बढ़ाने को जाग्रत हो गया है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है जिसके अन्तर्गत अनेक सुविचरित कार्यक्रम यथा समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ट्राइसेम कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि हैं। ग्रामीण विकास के इन विभिन्न कार्यक्रमों का लक्ष्य कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता की वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्र के निर्बल वर्गों की आय में वृद्धि करना, स्वरोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ करना, अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षिक व सामाजिक उन्नति हेतु सघन प्रयास करना है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन सब कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करने में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थानों की व्यवस्था भी की गई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका

विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अभिप्राय उन विचारों और साधनों के समूहों से होता है जिनके समुचित प्रयोग द्वारा मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण को अपने अधिकतम कल्याण के लिए उपयुक्त स्वरूप में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। वस्तुतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवीन आविष्कारों व प्रयासों की एक अनवरत् प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से मानव जीवन को सुखी और वैभव युक्त बनाने का प्रयास किया जाता है।

सामान्य रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आधुनिक उद्योगों के साथ सम्बन्धित किया जाता है और इस आधार पर अनेक आधुनिक विज्ञान और नवीन प्रौद्योगिकी के विचारों का मत है कि इस विधा की प्रकृति ऐसी है कि इसका प्रयोग ग्राम-विकास के कार्यों में किया ही नही जा सकता है। इस मत के समर्थकों ने यहां तक कह दिया कि यदि आधुनिक वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीय ज्ञान का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने के लिए किया भी गया तो इसके परिणाम धनात्मक न हो सकेंगे। इस आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि नई प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है परन्तु वास्तविकता इसकी ठीक उल्टी है। इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिसका विकास विकसित पश्चिमी देशों की आवश्यकता के अनुरूप हुआ है, का अपने वर्तमान् स्वरूप में ग्राम विकास में कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। परन्तु इस वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय ज्ञान का प्रयोग ग्रामीण भारत में प्रचलित पारस्परिक ग्रामीण प्रौद्योगिकी की गुणवेत्ता, कार्यकुशलता और अर्थक्षमता में वृद्धि करने के निश्चित रूप से किया जा सकता है। अतः आधुनिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय ज्ञान का यदि एक सुविचारित व्यावहारिक योजना के अनुसार कुछ चुनी गई ग्रामीण प्रौद्योगिकी में गुणात्मक सुधार हेतु किया जाए तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी। वस्तुस्थिति यह है कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में प्राचीन काल से ही ग्रामशिल्प और ग्रामीण उद्योग पर्याप्त रूप से विकसित थे। ब्रिटिश शासन काल में हुए शोषण ने इस प्रौद्योगिकी और उससे सम्बद्ध ज्ञान को पतन के गर्त में धकेल दिया था। यद्यपि स्वतंत्रता के उपरान्त ग्राम शिल्प और प्रौद्योगिकी जीवित तो हो गई परन्तु अपने पैरों पर खड़ी न हो सकी।

अतः आज की आवश्यकता यह है कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से प्राचीन ग्रामीण प्रौद्योगिकी को अधिक सक्षम व कुशल बना दिया जाए जिससे वह पुनः विकसित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। यह कार्य सफल तब हो सकता है जब ग्रामीण भारत में विद्यमान प्रौद्योगिकी को किसी बाहरी प्रौद्योगिकी से प्रतिस्थापित करने का प्रयास न किया जाए वरन् विद्यमान प्रौद्योगिकी में ऐसे सुधार करने के प्रयास किए जाएं जो उसे अधिक सक्षम और उपयोगी बना दें। अतः भारत के ग्राम विकास कार्य की सफलता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक शोध का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान प्रौद्योगिकी की कार्य क्षमता और कुशलता में वृद्धि करने की विधियों की खोज करना हो। इस सन्दर्भ में अनुकूल (या उपयुक्त) प्रौद्योगिकी खोजने का अर्थ किसी विदेशी प्रौद्योगिकी को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाना नहीं होगा वरन् ग्रामीण भारत में प्रयुक्त होने वाली प्रौद्योगिकी की कुशलता में वृद्धि करना होगा। स्पष्ट है कि यह एक जटिल कार्य है और इसके सम्पादन के लिए ऐसे विशिष्ट संस्थानों की आवश्यकता होगी जो ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करें और अपने प्रसार कार्यक्रमों की सहायता से विद्यमान प्रौद्योगिकी में गुणात्मक सुधार करने का प्रयास उत्साह व निष्ठा से करें। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अपने विद्यमान रूप में ग्राम विकास के कार्य में कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। उसकी मुख्य भूमिका विद्यमान प्रौद्योगिकी को कुशल और सक्षम बनाने की है। ऐसा होने पर निश्चित सफलता प्राप्त होगी। इसके प्रमाण के रूप में हम कृषि प्रयुक्त नई प्रौद्योगिकी को देख सकते हैं जिसे आश्चर्य जनक सफलता मिली है। इस सफलता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि भारतीय वैज्ञानिक और विशेषज्ञ यदि कमर कस कर कार्य करें तो वे आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप कर सकते हैं। अतः यह आशा की जा सकती है कि ग्राम विकास कार्य में भी यदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग पूर्ण निष्ठा और उत्साह के साथ होगा तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी।

सम्भावनाएं

हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में अनेक ऐसे कार्य हैं जिनमें परम्परागत शिल्प और कौशल का प्रयोग होता है और इनका प्रचलन लगभग सम्पूर्ण ग्रामीण भारत में होता है। इन कार्यों में हथकरघे पर कपड़ा बुनना, बैलगाड़ी का प्रयोग करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, परम्परागत हल का प्रयोग करना, कच्ची मिट्टी के मकान बनाना, हाथ से ईंट व अन्य निर्माण सामग्री बनाना आदि प्रमुख हैं। इन सब कार्यों में संलग्न व्यक्ति यथा-जुलाहे, कृषक, कुम्हार, राजगीर, बढ़ई, मजदूर अपनी शारीरिक शक्ति तथा पारस्परिक छोटे-मोटे औजारों के प्रयोग से अपने-अपने कार्यों का सम्पादन करने में रत हैं। इन औजारों व उपकरणों में से अधिकांश ऐसे हैं जिनमें सम्बन्धित व्यक्ति की शारीरिक शक्ति व क्षमता का अत्यधिक प्रयोग होता है। इस प्रकार बैलगाड़ी, रहट, इत्यादि उपकरण जो पशु शक्ति की सहायता से चलते हैं, की प्रकृति भी इसी प्रकार की है कि पशुओं की शक्ति का तीव्रता से ह्रास होता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान की नई खोजों का प्रयोग इन छोटे-छोटे उपकरणों व औजारों की कुशलता में वृद्धि करने, इनके प्रयोगकर्ता की उत्पादकता में वृद्धि करने तथा इनकी सहायता से सम्पादित कार्य को उच्चस्तर का बनाने में किया जाए। इन सभी उपकरणों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले इसी प्रकार के अन्य उपकरणों में सुधार करने की अभी बड़ी सम्भावनाएं हैं। यह सुधार तभी हो सकता है जब हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ इस क्षेत्र में कमर कस कर जुट जाएं।

ग्रामीण विकास के उपरोक्त कार्यों के साथ-साथ अभी कृषि के समुचित विकास की संभावनाएं भी विद्यमान हैं। यथा-नई प्रौद्योगिकी का सम्पूर्ण देश में विकास नहीं हो पा रहा है, देश में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी कृषि उत्पादिता राष्ट्रीय उत्पादिता से कहीं नीची है, अनेक महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन अभी तक नहीं बढ़ाया जा सका है आदि। इतना ही नहीं भूमि की गुणवेत्ता में भी सुधार की अनेक संभावनाएं विद्यमान हैं। भूक्षरण, भूमि का क्षारीय हो जाना, उर्वरता की कमी हो जाना, पानी का भराव जैसी समस्याओं का तत्कालीन निदान आवश्यक है। इन सब कार्यों में सघन वैज्ञानिक प्रयासों की आवश्यकता है और इसीलिए यह हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का दायित्व है कि इस कार्य को पूर्ण गम्भीरता और निष्ठा के साथ सम्पन्न करने को तैयार हो जाएं। इसके साथ-साथ सामाजिक वानिकी और विशेष रूप से कृषि वानिकी कार्यक्रम को सफल बनाने में भी वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण योगदान की महती संभावनाएं हैं। हमारे वैज्ञानिकों को वृक्षों की वह जातियां खोजनी व विकसित करनी हैं जिनसे भूमि की उर्वरता की वृद्धि के लिए जैविक खाद मिल सके, जिनको अधिक देखभाल व सिंचाई की आवश्यकता न हो और जिनकी जड़ों का क्षितिजाकार फैलाव न होकर ऊर्ध्व प्रसार हो। इन सब कार्यों का दायित्व हमारे वैज्ञानिकों का है और इन चुनौतियों का इनको सामना करना है।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया की गति तीव्र करने तथा ग्रामीण क्षेत्र को अधिक उत्पादक बनाने के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के सघन प्रयोगों की अत्यधिक आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हमें आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस प्रकार प्रयोग करना है कि हम एक आधुनिक ग्राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कर सकें जो अधिक कार्यकुशल, सरल, सस्ती और उपादेय हो। संक्षेप में, आधुनिक ग्राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए :—

1. यह आधुनिक ग्रामविज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्र के भौतिक व आर्थिक व सामाजिक परिवेश की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।
2. इस आधुनिक ग्राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अर्थक्षमता और कार्यकुशलता असंदिग्ध होनी चाहिए।

3. इस ग्राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रकृति में सरलता होनी चाहिए और इसका रखरखाव सरल होना चाहिए ।
4. इसके प्रयोग के लिए किसी विशिष्ट प्रशिक्षण व अध्ययन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ।
5. आधुनिक ग्राम प्रौद्योगिकी को स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग पर आधारित होना चाहिए । इसमें दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ।
6. इस ग्राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की लागत कम होनी चाहिए । अन्यथा इसका सघन रूप से ग्रामवासियों द्वारा प्रयोग न हो सकेगा ।
7. इस प्रौद्योगिकी की प्रकृति इस प्रकार की होनी चाहिए कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन और निर्बल वर्गों के सदस्यों को अधिकतम लाभ मिल सके ।
8. अन्तिम रूप में, कोई भी ग्रामीण प्रौद्योगिकी तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसका कार्य-स्थल पर प्रदर्शन व्यापक रूप से न हो ।

स्पष्ट है कि आधुनिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक ज्ञान के द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान पारस्परिक प्रौद्योगिकी को विकसित करके एक नई आधुनिक ग्रामीण प्रौद्योगिकी का विकास करना एक अत्यन्त कठिन कार्य है, जिसे हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिक विशेषज्ञों को सम्पन्न करना है । यह एक ज्वलन्त चुनौती है जिसका उनको दृढ़ता पूर्वक सामना करना है और अपने विशिष्ट ज्ञान के सुविचारित और सुनियोजित प्रयोग द्वारा ग्रामीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाना है । तभी हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 'सपनों का भारत' निर्मित कर सकेंगे और उनकी 'ग्राम स्वराज्य' व 'रामराज्य' की कल्पना साकार कर सकेंगे । ☐

1बी/2ए राजरूपपुर, पो०-धूमनगंज,
इलाहाबाद-211011 ।

समन्वित ग्रामीण विकास के लिए

समयबद्ध कार्यक्रम

राव वीरेन्द्र सिंह का राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र

केन्द्र ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के जोरदार कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के लिए तत्काल समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया है। राज्यों से कहा गया है कि वे वर्तमान वित्त वर्ष के अन्त तक राज्य के मुख्यालयों में निगरानी कक्ष स्थापित करें तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करें ।

केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री, राव वीरेन्द्र सिंह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और मुख्य आयुक्तों को लिखे एक पत्र में उन्हें सूचित किया है कि उन्होंने मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि वह राज्य द्वारा आवश्यक कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के आधार पर ही वर्ष 1982-83 के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु राशि देने के प्रश्न पर विचार करें ।

मंत्री महोदय ने यह भी सुझाव दिया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित लोगों की आय में वृद्धि के संदर्भ में इस कार्यक्रम का मूल्यांकन करने संबंधी अध्ययन इस वर्ष 30 सितम्बर तक पूरे हो जाने चाहिएं । उन्होंने कहा कि अब हम छठी योजना के तीसरे वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं और इस कार्यक्रम के प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं । उन्होंने कहा कि जब तक हम कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय निश्चित नहीं करेंगे तब तक निर्धारित काम समय पर पूरा नहीं हो सकेगा । इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इस कार्यक्रम को लागू करने हेतु जोरदार प्रयास करना बहुत आवश्यक है ।

संस्थागत ऋणों की उपलब्धि को आसान करने के लिए राज्य जिला और खण्ड स्तर पर बैंकों के साथ समन्वय के लिए समितियों को पुनर्जीवित करने की भी सिफारिश की गई है। मंत्री महोदय ने यह भी सुझाव दिया है कि योजना आयोग द्वारा स्वीकृत आवंटन के आधार पर ही वर्ष 1982-83 के राज्य के बजट में धन की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

हिसाब-किताब रखने और इसकी निगरानी के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने का भी सुझाव दिया है । राज्य स्तर पर भी कार्यक्रमों के कार्यान्वियन पर नजर रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए । ☐

रोजगार

आर्थिक और सामाजिक

पहलू

डा० ओम प्रकाश शर्मा

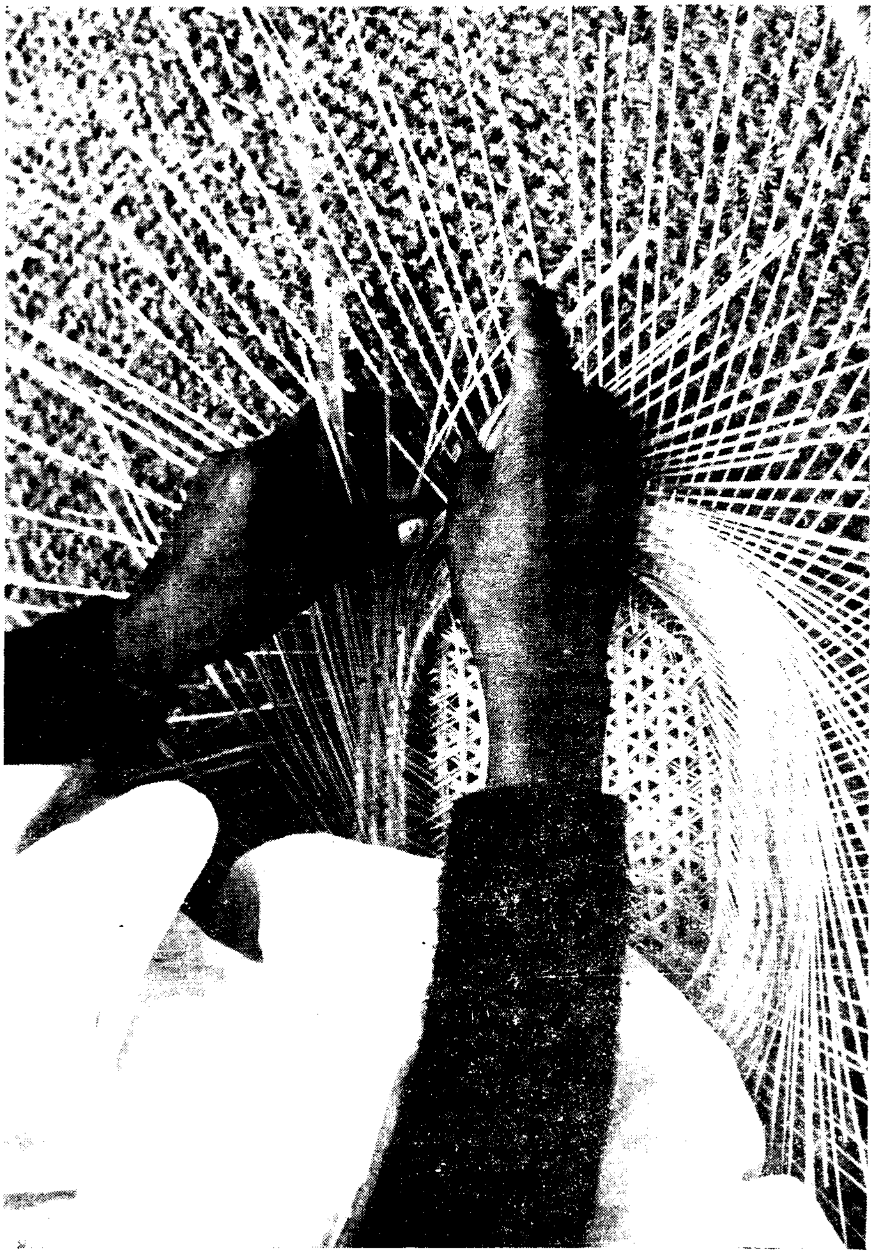

टोकरी बुनते हुए

रोजगार के आर्थिक और सामाजिक दोनों ही पहलू अत्यन्त महत्व-पूर्ण हैं। आर्थिक पहलू के अन्तर्गत प्रमुख रूप से आती है बेरोजगारी की समस्या और सामाजिक पहलू के अन्तर्गत सामाजिक न्याय की।

दुर्भाग्य की बात है कि योजना के ऊंचे लक्ष्यों के बावजूद भी बेरोजगारी की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। अनुभव से ज्ञात होता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की 1% वृद्धि का आशय 77% रोजगार से होता है। बेरोजगारी के सन्दर्भ में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आते हैं जो निम्न हैं :—

तालिका 1 : भारत की कार्यकारिणी जनसंख्या में वृद्धि (दस लाख में)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	कुल	पंचवर्षीय वृद्धि
1960	145.1	24.2	169.5	—
1965	159.4	29.1	188.5	190
1970	177.2	34.7	211.9	23.4
1975	199.2	41.7	240.9	29.0
1980	244.9	50.3	215.2	34.3

ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानान्तरण इस समस्या को और भयंकर बनाता है। यदि इस बेरोजगार ग्रामीण समुदाय की शहरों की ओर अंधाधुंध दौड़ को रोक गांवों में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो शहरीकरण की अनेक समस्याओं—आवास, यातायात, जल आदि का काफी हद तक समाधान किया जा सकता है।

हमारी वर्तमान दूषित शिक्षा प्रणाली जो मात्र डिग्री प्राप्त करने तक ही सीमित है, विकासशील भारत के मार्ग में अवरोधक घटक का कार्य कर रही है। निम्न तालिका से शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को समझा जा सकता है :—

तालिका 2 : शिक्षित बेरोजगारी की समस्या

वर्ष	कुल अभ्यर्थी (लाखों में)	शिक्षित बेरोजगारी (लाखों में)	शिक्षित बेरोजगारी का कुल बेरोजगारों से प्रतिशत
1967	27.40	10.86	39.9
1968	30.11	13.81	46.1
1969	34.24	15.26	44.6
1970	40.69	13.22	32.5
1971	44.95	20.53	45.8

स्रोत : 1 एवं 2. भारतीय लोक ज्ञापक संस्थान (इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक ओपिनियन का त्रिमासिक प्रतिवेदन) नई दिल्ली अप्रैल-जून 1971

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि शिक्षित बेरोजगारों की वृद्धि एक गम्भीर समस्या है। इन बढ़ते हुए शिक्षित बेरोजगारों को कृषि, पशुपालन, व्यापार एवं वाणिज्य सेवा कार्यों में संलग्न किया जा सकता है जो उचित शिक्षा एवं साधनों के अभाव में सफल नहीं हो सकते। हमारे देश में साधनों व उपायों की कमी नहीं है, समस्या सिर्फ यह है कि इन प्राकृतिक साधनों का प्रयोग प्रशिक्षित एवं योग्य अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जाए।

शिक्षित बेरोजगार जब जीवन स्तर एवं रहन-सहन स्तर को कायम रखने के लिए कार्य प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो असामाजिक तत्वों के रूप में परिणित हो जाते हैं। परिणामस्वरूप डकैती, हत्या एवं सामाजिक तथा आर्थिक अशांति जैसी समस्याएं सामने आती हैं। इन समस्याओं तथा बेरोजगारी की समस्या के समाधान का एक प्रमुख उपाय है कि शिक्षा प्रणाली को व्यावहारिक एवं उत्पादक (रोजगार) प्रधान बनाया जाए —

(1) व्यावसायिक शिक्षा वर्तमान औद्योगिक तथा व्यापारिक आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए।

(2) उच्च शिक्षा मात्र उन्हीं लोगों के लिए सुलभ हो जो इसके लिए उपयुक्त हों। इसके निमित्त होने वाली भीड़ को प्रवेश परीक्षाओं द्वारा कम किया जा सकता है।

(3) हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के बाद अधिकांश विद्यार्थियों को उस ओर मोड़ना चाहिए जहां वे व्यापार, कृषि और उद्योग के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर सकें।

(4) लघु एवं घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए।

(5) जनसंख्या वृद्धि पर रोक, ग्रामों में विकास कार्यों का प्रारम्भ, आदि सामान्य उपाय हैं ही।

(6) ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए 'एकीकृत ग्राम विकास' योजना भी लाभदायक रहेगी। इसके अन्तर्गत विकास खण्ड को उपक्षेत्रों में बांटकर व्यष्टिपरक नियोजन किया जाता है जिससे उस क्षेत्र की विकास सम्भावनाओं का अनुकूलतम दोहन किया जा सके एवं आय तथा रोजगार की वृद्धि की जा सके। विचारणीय तथ्य यह है कि बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश राज्य द्वारा किया जाए।

शिक्षा का सामाजिक पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। रोजगारी की समस्या केवल गरीबी की समस्या न होकर समाज को असमान वर्गों में भी बांट देती है जिसमें उच्च वर्ग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दूसरे वर्गों को उभरने नहीं देते। अतः सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए राज्य का यह धर्म है कि वह कमजोर वर्ग को समान रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपाय करे।

सामाजिक न्याय की दृष्टि से रोजगार के कई पहलू हैं। एक तो यह है कि सामाजिक सुरक्षा हो अर्थात् बेकार श्रमिकों के निर्वाह का बीमा हो तथा दूसरा पहलू है समान मजदूरी का। ऊपरी तौर से तो ये आर्थिक प्रतीत होते हैं लेकिन इनमें भी सामाजिक मूल्यों का प्रश्न है कि किसी श्रमिक के न्यूनतम निर्वाह की रेखा सामाजिक न्याय की दृष्टि से कहां खींची जाए तथा किसी प्रकार के श्रम की भृति क्या हो ? अर्धविकसित तथा अविकसित देशों में बहुधा शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी, चाहे उनका काम कितना ही बोझिल तथा दुष्कर हो समाज के अन्य वर्गों (मानसिक श्रम करने वालों) की अपेक्षा बहुत कम होती है। यह मान भी लिया जाये कि मानसिक श्रम शारीरिक श्रम से कठिन होता है और उसके लिए वर्षों के शिक्षण-प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। फिर भी इन दोनों वर्गों की औसत आय में अधिक असमानता सामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित नहीं मानी जा सकती। अतः न्यूनतम मजदूरी को ऊंचा उठाया जाना चाहिए और अधिकतम आय की सीमा सभी स्रोतों से निर्धारित की जानी चाहिए।

सामाजिक न्याय की दृष्टि से रोजगार का विशेष पहलू रोजगार के असमान अवसर तथा उससे उत्पन्न सामाजिक संघर्ष है। प्रायः यह देखने में आता है कि उच्च तथा सुसम्पन्न परिवार के लोग चाहे कितने ही कम शिक्षित या अप्रशिक्षित हों, उनका मानसिक विकास स्तर कितना ही न्यून हो, निम्न वर्ग की नौकरी या शारीरिक श्रम से अपना जीविकोपार्जन करते हों। इसके विपरीत ऐसे उदाहरण भी कम ही हैं जब निम्न श्रमिक वर्ग के व्यक्ति रोजगार की उच्चतम सीढ़ियों पर पहुंच सके हों। यही तथ्य विभिन्न जातियों पर लागू होता है। मोची का लड़का मोची ही रह जाता है परन्तु उच्च जाति का उसका सहपाठी कदाचित ही मोची का काम करता है।

हमारे समाज का ढांचा ही कुछ ऐसा है कि आय, उद्यम तथा विद्या की प्रतिष्ठा जाति सम्पत्ति तथा व्यावसायिक वर्गीकरण से जकड़ी हुई है उच्च जातियां सारे विशिष्ट व मध्य वर्ग के कार्यों पर छाई

हुई हैं और उनके अपने रोजगार व व्यवसाय हैं जिन्हें समाज में उच्च माना जाता है। केवल शिक्षा इस व्यूह को तोड़ने का मार्ग निर्देशन करती है जिसके द्वारा उच्च जाति के बाहर के लोग भी प्रतिष्ठित रोजगार प्राप्त करने में कभी-कभी सफल हो जाते हैं। परन्तु जहां शिक्षा रोजगार के समान अवसर प्रदान करने का साधन है वहां उसकी संस्थाएं बाधक हैं। विश्वविद्यालय और उच्च प्रशिक्षण संस्थाएं प्रायः सभी देशों में स्वभावतः गुणधारित होने के कारण प्रतिगामी होती हैं। तात्पर्य यह है कि ये उन्हीं को आगे बढ़ने के अवसर देती हैं जो पहले से ही आगे आ चुके हैं। इस कारण शिक्षा संस्थाएं सामाजिक न्याय स्थापित नहीं होने देती। शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश नियमों, पठन-पाठन के ढांचे, परीक्षा प्रणाली, फीस और छात्रवृत्ति में ऐसे परिवर्तन करने होंगे कि अनुसूचित जाति वाले, शारीरिक श्रम से जीविकोपार्जन करने वाले श्रमिकों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा व प्रशिक्षण मिल सके।

शिक्षा आयोग ने बताया था कि हमारे देश में उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण के अवसर अनेक कारणवश असमान हैं। इन कारणों में गरीबी, जीवन स्तर की भिन्नता, गांवों व नगरों का भिन्न-भिन्न वातावरण, एक ही स्तर की शिक्षा-संस्थाओं में भिन्नता, पारिवारिक पर्यावरण में भिन्नता और यह सब भिन्नता होते हुए भी सबके लिए प्रवेश का एक ही मापदण्ड। जब शिक्षा के अवसरों में ही असमानता है तो रोजगार के अवसर कैसे समान हो सकते हैं?

शिक्षा आयोग के आंकड़ों के अनुसार वोकेशनल, तकनीकी तथा प्रोफेशनल संस्थाओं के सभी विद्यार्थियों में से 58% नगरीय परिवारों से, 60% उच्च वर्ग के रोजगार में लगे परिवारों से और 50% उन परिवारों से आए थे जिनकी आय 150 रु० प्रतिमाह से अधिक थी। केवल मेडीकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों को लें तो निम्न वर्ग वालों का अनुपात और भी कम पड़ता है।

रोजगार की असमानता शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों की असमानता के सिवाय, व्यवसाय व रोजगार के साधनों के असमान वितरण के कारण भी है। निजी व्यवसायों में लगे व्यक्तियों में सम्पत्ति, भूमि का वितरण भी अत्यधिक असमान है। कुछ व्यक्तियों के पास बहुत कम भूमि है कुछ के पास बहुत अधिक। नई तकनीक भी छोटी जोतों पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती। तब रोजगार में समानता कैसे सम्भव हो सकेगी। यह बात भी नहीं भुला देनी चाहिए कि रोजगार में सामाजिक न्याय या समानता स्थापित करने के लिए रोजगार के गुप्त तथा अनैतिक द्वार भी बन्द किए जाने चाहिए। जितने भी रोजगार और पद है वे सम्पत्ति, वर्ग तथा सम्बन्धों पर आधारित नहीं होने चाहिए।

बेरोजगारी की समस्या की ओर सरकार का ध्यान नहीं है, ऐसा कहना भी बड़ी भूल होगी क्योंकि छठी योजना के प्रमुख उद्देश्यों में एक उद्देश्य देश में व्याप्त बेरोजगारी को धीरे-धीरे कम करना है। 1981 की जनगणना के उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात लगभग 76% आंकन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में देश के विकास का लाभ कुछ लोगों ने उठाया है, लेकिन अभी भी कुछ वर्गों के लोग खुश हाल नहीं हैं। प्रायः गांवों के युवजन नौकरी की तलाश में मारे-मारे फिरते हैं। निम्न सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि गांव के युवजन अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाए जाएं ताकि वह गांवों में रहकर ही अपनी जीविका कमा सकें इस दिशा में सरकारी प्रयास निम्न हैं:—

सरकारी प्रयास :

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसने अक्तूबर 1980 से काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान ले लिया है, से गरीब ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए निर्माण कार्यों में वनरोपण तथा सामाजिक वानिकी, भूमि विकास, भूमि समतलीकरण तथा भू-संरक्षण, लघु सिंचाई निर्माण कार्य, जल वाहिकाओं का निर्माण तथा सामुदायिक पेय जल कुएं और ग्रामीण तालाबों की खुदाई तथा इन्हें गहरा करना, ग्रामीण सम्पर्क सड़कों, स्कूलों, डिस्पेंसरी, सामुदायिक केन्द्र भवनों का निर्माण आदि शामिल है।

(ii) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी 5011 विकास खण्डों में कर दिया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करना है और लाभप्रद रोजगार की व्यवस्था करना है। प्रत्येक विकास खण्ड में प्रति वर्ष 600 गरीब परिवारों का चयन किया जाना है ताकि उन्हें उपयुक्त सहायता उपलब्ध की जा सके।

(iii) ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों में तकनीकी कुशलताओं का विकास करना है। प्रतिवर्ष लक्षित वर्ग के लगभग 2 लाख युवकों को ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कुशलताओं में प्रशिक्षण देने की योजना है। संस्थागत प्रशिक्षण के अलावा, प्रशिक्षण स्थानीय सेवा औद्योगिक यूनिटों, मास्टर शिल्पियों तथा ख्याति प्राप्त कारीगरों के माध्यम से भी दिया जाता है।

(iv) जुलाई 1981 में ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार की नीति के बारे में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए विशेष कार्यक्रमों का अध्ययन करने एवं राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर अपनाए जाने के लिए ग्रामीण रोजगार की उपयुक्त नीति और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए विस्तृत कार्यक्रमों के बारे में सिफारिशें देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1–4–1977 से शुरू किया गया था, में संशोधन कर दिया गया और अक्तूबर 1980 से इसका नाम **"राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम"** रख दिया गया है। अब यह कार्यक्रम 1–4–1981 से छठी पंचवर्षीय योजना का नियमित भाग बन गया है और इसे केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर-बराबर अंशदान के आधार पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ii) 10 प्रतिशत संसाधनों को ऐसे कार्यक्रमों में उपयोग हेतु निर्धारित किया गया है, जिससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाता है। इसी तरह 10 प्रतिशत आवंटन केवल सामाजिक वानिकी तथा पौधरोपण कार्यक्रमों के लिये निर्धारित किया गया है।

(iii) वर्ष 1980-81 के दौरान काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को गत वर्ष उपयोग न किये गये शेष खाद्यान्नों सहित 20.48 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा बंटित की गई थी। इसके अलावा राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 127.40 करोड़ रुपये (सामग्रीघटक के लिये 105.00 करोड़ रुपयों तथा मजदूरी घटक के लिये 22.40 करोड़ रुपये) की नकद निधियां उपलब्ध की गई थीं।

उद्योग, सेवा तथा व्यापार घटक

(i) फरवरी, 1979 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में उद्योग, सेवा तथा व्यापार घटकों को शामिल किया गया था जिसका उद्देश्य द्वितीय वित्तीय तथा तृतीय क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करना है।

(ii) 2 अक्तूबर 1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी खण्डों में कर दिया गया है। समग्र लक्ष्य यह है कि छोटे तथा सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के लक्षित वर्गों जो निर्धनता की रेखा के नीचे बसर करते हैं, से संबंधित 600 परिवारों को इसके अन्तर्गत लाया जाएगा। इसमें से उद्योग, सेवा तथा व्यापार घटक के अन्तर्गत 200 परिवारों को लाया जाना है। इससे उद्योग, सेवा तथा व्यापार घटक के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यों की मात्रा में वृद्धि हुई है। अनुमान यह है कि इस क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख व्यक्तियों को लाना होगा।

(iii) विकेन्द्रीकृत औद्योगिक क्षेत्र की देखरेख करने वाले सभी संगठनों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी योजनाओं को आई० एस० बी० तथा ट्राइसेम कार्यक्रमों से जोड़ दें।

(iv) यह सुझाव दिया गया है कि जिला स्तर पर छोटी समितियां जिनमें जिला समाहर्ता, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग आयुक्त तथा परियोजना अधिकारी शामिल हों, का गठन करने के लिए जिले में समग्र ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम तैयार करने हेतु गठन किया जाना चाहिए।

स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम)

(i) ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना 15 अगस्त 1979 को शुरू हुई थी जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण युवकों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करना है। योजना में मुख्य बल ग्रामीण युवकों का आवश्यक कुशलताओं तथा प्रौद्योगिकी से सज्जित करने पर दिया गया है, ताकि वे अपने रोजगार के व्यवसाय शुरू कर सकें।

(ii) इस योजना के कार्यान्वयन में प्रथम कदम के रूप में सभी खण्डों में एक आधार स्तरीय सर्वेक्षण किया जाना है, ताकि गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लक्षित वर्ग के परिवारों का पता लगाया जा सके।

(iii) युवकों के प्रशिक्षण की नीति यह है कि प्रशिक्षण के सभी तरीके स्वीकार किए जाएं। संस्थागत प्रशिक्षण के अलावा, प्रशिक्षण स्थानीय सेवाई तथा औद्योगिक यूनिटों, मास्टर शिल्पकारों, कारीगरों तथा कुशल कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी दिया जा सकता है।

(iv) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान निम्नलिखित वित्तीय सहायता ग्राह्य है:—

(अ) प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिमाह 100 रुपये तक वजीफा, यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थियों के गांव में दिया जाता है तब वजीफें की दर संस्थाओं तथा मास्टरों, शिल्पियों दोनों के मामले में 50 रुपये तक होगी।

(ब) कच्चे माल के लिये प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिमाह 25 रुपये की धनराशि दी जाएगी और उसकी अधिकतम सीमा प्रति प्रशिक्षार्थी 200 रुपये होगी।

(स) प्रशिक्षार्थियों को 250 रुपये तक प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से एक औजार किट सुलभ किया जाना है।

(v) ट्राइसेन के अन्तर्गत उठाए जा रहे कदमों में से एक कदम ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक राज्य में एक प्रशिक्षण संस्थान को मजबूत बनाना है। यूनिसेफ की सहायता से छह केन्द्रों का चयन किया जा रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का सभी खण्डों में विस्तार किए जाने के पश्चात् भी ट्राइसेम योजना अलग वित्तीय आवंटनों से एक पृथक योजना के रूप में जारी रहेगी। ताकि प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जा सके।

(vi) अब तक निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए हैं। तथा उन्हें परिचालित किया गया है:—

(अ) ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना;

(ब) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ट्राइसेम के ग्रामीण उद्योग घटक से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत।

(स) उद्योग-सेवा तथा व्यापार/ट्राइसेम के अन्तर्गत औद्योगिक तथा व्यापार गृहों की भागीदारी।

(य) फार्म उपकरण मशीन से संबंधित पाठ्यक्रम।

(र) आटो-मेकेनिक से संबंधित पाठ्यक्रम।

(ल) ग्रामीण बिजली धंधे से संबंधित पाठ्यक्रम।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास हेतु परिषद्

ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास हेतु परिषद् की संस्थापना की योजना इस वर्ष के दौरान अनुमोदित की गई है। वर्ष 1981-82 के दौरान एक लाख रुपये का एक सांकेतिक

[शेष पृष्ठ 31 पर]

स्वयंसेवी संगठन

और

जनजाति क्षेत्रों का विकास

ओडेयार डी० हेगड़े

जनजाति के लोगों की संख्या की दृष्टि से भारत का संसार में दूसरा स्थान है। 1971 की गणना के अनुसार भारत में कुल जनजातियों के लोगों की संख्या देश की पूरी आबादी का सात प्रतिशत थी। जनजातियों के लोगों की घनी आबादियां उत्तर-पूर्वी इलाकों और मध्य भारत के राज्यों में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास तो हो रहा है पर वह धीमा है और अलग-अलग चरणों में है। प्रत्येक क्षेत्र एक अलग ही दृढ़ सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक इकाई है। कुछ पुराने जनजति क्षेत्रों के कबायली तो बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। इन लोगों की रोजी-रोटी का साधन जंगल से मिलने वाली मामूली चीजों को इकट्ठा करके बेचना, शिकार करना और झूम खेती करना है। देश में इन लोगों का अलग-अलग तरीकों से शोषण हो रहा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने इन लोगों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए (1974) जनजाति उपयोजनाओं को अमल में लाना शुरू किया है। इसीलिए स्वयंसेवी संगठनों का योगदान इस काम में बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरत इस बात की है कि ये लोग अपनी सिर्फ रोजी-रोटी के स्तर से उठकर आधुनिक सुख-सुविधा के जीवन की तरफ आगे बढ़ें। इस दिशा में स्वयंसेवी संगठन क्या कुछ कर सकते हैं और इन्हें इन कामों में कौन-कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इस संबंध में प्रस्तुत लेख में चर्चा की गई है।

स्वयंसेवी संगठनों के उद्देश्य

यह स्वाभाविक बात है कि जहां सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विकास न हुआ हो वहां का प्रशासन भी अविकसित रहता है। भारत विकासशील देश है और यह सिद्धांत उस पर भी लागू होता है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि सरकारी तंत्र तो अपना काम करता रहे पर स्वयंसेवी संगठन भी सामाजिक-आर्थिक प्रगति कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए कोशिश करें। वे विभिन्न कार्यक्रमों में सहायता दे सकते हैं। वे इन लोगों को भली-भांति समझाएं कि पिछड़े वर्गों के विकास की कितनी जरूरत है, उन वर्गों में जागरूकता पैदा करें। अलग-अलग स्तरों पर नेतृत्व की भावना पैदा की जाए ताकि वे बराबर अपनी बेहतरी के बारे में सोचें और कार्यक्रमों को अमल में लाने में मदद दें।

कई स्वयंसेवी संगठनों ने होस्टल, आश्रम, स्कूल, दवाखाने, जच्चा-बच्चा अस्पताल, शिशु कल्याण केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं और इनमें इनके अधिकारों के बारे में चेतना पैदा की है। ऐसे संगठनों ने इन लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे संगठनों को राज्य व केन्द्रीय सरकारें बराबर अनुदान देती रहती हैं। इससे यह बात साफ हो जाती है कि सरकार इन संगठनों से सहायता प्राप्त करना चाहती है। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को जोकि उक्त कामों में लगे हुए हैं "राज्य वित्तीय सहायता" दी जाती।

इस संदर्भ में, स्वयंसेवी संगठनों को भी चाहिए कि वे अपने कामों के बारे में विचारें सामान्यरूप से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के स्वयंसेवी संगठनों के उद्देश्य को नीचे लिखे भागों में बांटा जा सकता है :—

(1) जनजातियों में सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यों में भाग लेने के लिए जागरूकता पैदा करना।

(2) विकास और आधुनिकीकरण की इच्छा को बरकरार रखने और प्रोत्साहन देने के लिए योग्य और कुशल स्थानीय नेतृत्व तैयार करना।

(3) विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों और प्रशिक्षण केन्द्रों आदि को खोलकर सामाजिक-आर्थिक संरचना आधार की सुविधाओं को पैदा कर सुनियोजित प्रयत्नों में सहायता देना।

(4) स्थानीय संसाधनों के आधार पर ऐसी यूनिटें खोली जाएं जहां कच्चे माल को उपचारित किया जा सके और इस प्रकार वहां के लोगों को रोजगार की अधिक सुविधाएं मुहैया करना।

(5) लघु उद्योग और उपचार करने वाली औद्योगिक यूनिटों की व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से स्थापना करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना, अवशेष रूप से ऐसी यूनिटों को सहकारिता के क्षेत्र में खोला जाना।

(6) अधिक आमदनी और उपज के लिए झूम खेती पर आधारित पुराने तौर-तरीकों के स्थान पर नई वैज्ञानिक खेती को अपनाने के लिए जनजातियों को प्रेरित करना ।

(7) जनजातियों को अधिक शिक्षा के लिए प्रेरित करना क्योंकि शिक्षा उनके जीवन के सुधार के लिए अनिवार्य है ।

संगठनों की कार्यपद्धति

इस बात पर पहले ही जोर दिया जा चुका है कि स्वयंसेवी संगठनों को केन्द्रीय व राज्य सरकारें जितनी मात्रा में सहायता देती हैं उसी के अनुरूप ये स्वयंसेवी संगठन जनजाति क्षेत्रों में अपने कार्यकलाप की रूपरेखा तय करते हैं । वास्तव में इन संगठनों को दी जाने वाली यह आर्थिक सहायता इनकी शक्ति का बुनियादी स्रोत है । इसके अलावा यह बात भी सही है कि हमारे देश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं और धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले ये संगठन पिछड़े वर्गों और आदिवासियों की भलाई के लिए जनशक्ति जुटा सकते हैं, सामाजिक चेतना पैदा कर सकते हैं और आर्थिक साधन तक जुटा सकते हैं । अब तक कई स्वयंसेवी संगठनों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत काम किया है और इसके फलस्वरूप वहां की आर्थिक, सामाजिक दशा में प्रगति हुई है ।

हमारे देश में जनजाति के लोगों की भलाई के लिए तीन प्रकार के स्वयंसेवी संगठन कार्य कर रहे हैं । इन संगठनों में कुछ तो पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं । ये संगठन हैं (1) विभिन्न प्रकार के ईसाई मिशन, (2) महात्मा गांधी, राजेन्द्र प्रसाद और ए० वी० ठक्कर आदि जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन और (3) भारतीय धार्मिक संस्थाएं जैसे रामकृष्ण मिशन आदि द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक संगठन ।

यह बात उल्लेखनीय है कि जनजाति क्षेत्रों के कुछ क्षेत्रों में, जैसे छोटानागपुर में स्वयंसेवी संगठनों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है । एक अध्ययन में यह बताया गया है कि कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने जनजाति के कमजोर वर्गों के आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में काम करके उनकी आदिम अर्थ-व्यवस्था को बहुत बेहतर बनाया है । इन संगठनों ने किसान समुदायों के विकास और समृद्धि में ही नहीं बल्कि वहां की कृषि के तौर-तरीकों में सुधार की दिशा में अच्छा काम किया है ।

अनेक स्वयंसेवी संगठन छूआछूत की बुराई दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं और सामाजिक संरचना आधार तैयार कर रहे हैं । यह आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की सुविधाएं । हमारे देश में जनजातियों की भलाई में लगे दो प्रकार के स्वयंसेवी संगठन हैं । वे हैं : (1) राज्य स्तरीय स्वयं सेवी संगठन जो कि राज्य विशेष में काम करते हैं और अपनी राज्य की सरकार से आर्थिक सहायता पा रहे हैं; (2) राष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी संगठन जो कि प्रायः एक से अधिक राज्यों में काम कर रहे हैं और केन्द्रीय तथा राज्य दोनों ही सरकारों से सहायता पा रहे हैं ।

मोटे तौर पर राज्य और केन्द्रीय सरकारें स्वयंसेवी संगठन को सहायता के लिए चुनते समय यह देखते हैं कि उन संगठनों की ख्याति कैसी है और कितने समय से वे काम कर रहे हैं । भारत सरकार ने सहायता देने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं । ये मानदंड हैं :—(1) संगठन अखिल भारतीय स्तर का हो, (2) संगठन कुल योजना पर व्यय की जाने वाली राशि का 10 से 20 प्रतिशत अपनी ओर से खर्च कर सकता हो। (3) एक ही योजना के लिए वह संगठन एक से अधिक स्रोतों से सहायता स्वीकार न करे । (4) भारत सरकार से मिलने वाली सहायता से मुहैया की जाने वाली सुविधाएं मुफ्त दी जाएं यानी जो लोग इन सुविधाओं से लाभ उठाते हैं उन्हें उन सुविधाओं के लिए कोई अंशदान न करना पड़े ।

इन क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को राज्य सरकारें और संघशासित सरकारों द्वारा सहायता दी जाती है । दुर्भाग्यवश, राज्यों द्वारा दी जाने वाली सहायता के आंकड़े और जनजाति क्षेत्रों में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों की कार्यप्रणाली उपलब्ध नहीं है । इन आंकड़ों के न मिलने के कारण, जरूरत इस बात की है कि जनजाति क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाए ।

स्वयंसेवी संगठन अनेक शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की गतिविधियों में लगे हुए हैं । रामकृष्ण मिशन, आदिम जाति सेवा मंडल और कालाडी, केरल आदि में रामकृष्ण मिशन की दिव्यन यूनिट आदि संगठन बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं और बहुत सेवा कर रहे हैं । इन क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों के कार्यों का लेखा-जोखा नीचे दिया जा रहा है :—

(1) जनजातियों की महिलाओं को, बच्चों की देख-रेख, पोषण, स्वच्छता, घर की देख-रेख आदि के कामों में प्रशिक्षण देने के लिए, स्वयंसेवी संगठनों ने महिला प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं ।

(2) स्वयंसेवी संगठन पुरुष और महिलाओं दोनों को ही जनजाति व क्षेत्र कल्याण, ग्रामीण व वन आर्थिकी में प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि उनके क्षेत्र में लागू की जाने वाली योजनाओं का बेहतर इस्तेमाल कर सकें ।

(3) कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने रोजगार सहायता केन्द्र खोले हैं ताकि जनजाति के रोजगार करने वाले लोगों और नौकरी दिलाने वालों के बीच सूचनाओं और विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके ।

(4) चिकित्सा सहायता केन्द्र, डिस्पेंसरियां, चलते-फिरते अस्पताल और स्वयंसेवी स्वास्थ्य कर्मचारियों आदि के संगठन खोले गए हैं ताकि जनजातियों की सहायता की जा सके ।

(5) जनजाति क्षेत्रों में काम करने वाले लगभग सभी स्वयंसेवी संगठनों की अपनी-अपनी शैक्षणिक संस्थाएं है । कुछ संगठन तो जनजाति के बच्चों को प्रोत्साहन भी दे रहे हैं ताकि वे पढ़ने-लिखने की तरफ ध्यान

दे सकें और पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों को फिर से पढ़ाई शुरू करने की प्रेरणा देते हैं।

(6) कुछ स्वयंसेवी संगठन जनजाति के किसानों को छह सप्ताह का सघन कृषि प्रशिक्षण देते हैं। इन किसानों को मुर्गीपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि व्यवसायों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण वे अपने कार्यालयों में देते हैं जहां इस तरह की प्रशिक्षण इकाइयां चलाई जाती हैं।

(7) कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जनजाति के लोगों को कई शिल्पों और कलाओं जैसे सिलाई, बुनाई, चित्रकारिता, खेती, टोकरी बनाना आदि का भी प्रशिक्षण देते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षण पाकर ये लोग गांव के व्यवसायों में अपना धंधा खुद चला सकते हैं।

समस्याएं और कठिनाइयां

जनजाति के लोग अत्यन्त परम्पराग्रस्त और प्राक् कृषिप्रौद्योगिकी वाली परिस्थिति में रह रहे हैं। स्वयंसेवी संगठन इन लोगों को आधुनिकता का जामा पहनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और वे इस सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करते हैं। फिर भी भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन या रूपान्तरण का काम अत्यधिक अलग-थलग पड़े इलाकों और अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में एक भीषण चुनौती है। इन स्वयंसेवी संगठनों के प्रयत्नों में अनेक कठिनाइयां और समस्याएं सामने आती हैं। कुछ कठिनाइयों और समस्याओं का वर्णन नीचे किया जा रहा है :—

(1) जंगलों के ठेकेदार, मैदानों के लोग और उन क्षेत्रों की औद्योगिक प्रयोजनाओं में काम करने वाले लोग जनजातियों का शोषण करते जा रहे हैं। इस शोषण के कारण वहां के गरीब, अनपढ़ और अत्यंत सीधे-सादे लोगों में आशंका पैदा हो रही है। यही कारण है कि ये स्वयंसेवी संगठन जो सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं चलाते हैं, उनमें वहां के लोगों का उत्साह नजर नहीं आता। यही कारण है कि जनजाति समाज के परिवर्तन की गति बहुत ही धीमी है।

(2) ऐसे स्वयंसेवी संगठनों की कुल संख्या कम ही है। और ये संगठन भी वहां काम करते हैं जहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे क्षेत्रों में जो बहुत ही दूर हैं, ये संगठन नहीं पहुंच पाते। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में पहुंच पाना मुश्किल है यानी रास्ते बहुत खराब हैं वहां भी यही हाल है।

(3) स्वयंसेवी संगठन मुख्यरूप से समाजसेवा कार्यक्रम चलाते हैं। आर्थिक साधनों की कमी के कारण, इन कार्यक्रमों का लाभ भी बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। ऐसे क्षेत्र बहुत फैले हुए हैं और संस्थाएं सीमित हैं।

(4) अपना धंधा खुद चलाने के उद्देश्य से, छोटे पैमाने पर चलाई जाने वाली औद्योगिक इकाइयों को निवेशों और सुविधाओं को मुहैया करने में कठिनाइयां होती हैं। इसी कारण वे परिवर्तनों के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाते। इस प्रकार स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले प्रशिक्षण शिविरों का काफी फायदा नहीं पहुंचा।

(5) स्वयंसेवी संगठनों के पास आर्थिक साधन बहुत कम हैं। धन की कमी जनजाति की भलाई के कामों में आड़े आती है

(6) यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जनजाति के विकास के कामों को बढ़ावा देने और उन में परिवर्तन लाने के लिए, स्वयंसेवी संगठनों और सरकारी विकास एजेंसियों के बीच कोई समन्वय नहीं है।

उपसंहार

हमारे जनजाति क्षेत्रों की कायाकल्प करने की दिशा में संगठनों में बहुत क्षमता है और वे प्रेरणा के स्रोत सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए इन संस्थाओं को उदारतापूर्वक सहायता और सहयोग मिलना चाहिए और ऐसे कदम उठाए जाने चाहिएं ताकि इन संगठनों की कठिनाइयों और समस्याओं का निराकरण किया जा सके। जिन लोगों और संस्थाओं ने अपने ऊपर कल्याण कार्य का दायित्व लिया है, ऐसे लोगों और संस्थाओं की संख्या तभी बढ़ाई जा सकती है जबकि उन्हें उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जाए। इस प्रकार हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ऐसे स्वयंसेवी संगठनों का जो जाल बिछा हुआ है उनमें नई शक्ति का संचार किया जाए ताकि वे जनजाति के विकास और कल्याण की वर्तमान उपयोजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों में सहायक व उपयोगी सिद्ध हो सकें। □

अनुवादक : ब्रजलाल उनियाल
के०-38 एफ,
साकेत, नई दिल्ली-110017

तेल की हर बूंद कीमती है, इसे बचाइये !

थारू जनजाति में फैलती नए जीवन की हरियाली

उत्तर प्रदेश का लखीमपुर जिला भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है। हिमालय की तराई में हरियाली से भरा-पूरा यह भू-भाग प्राकृतिक सुन्दरता और शांति का अद्भुत नमूना है। यहां घने जंगलों के बीच थारू जनजातियों के 41 गांव बसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि थारू लोगों ने जंगल में रहने वाले शेरों से भी सामन्जस्य स्थापित कर लिया हो। 500 वर्ग किलोमीटर में फला हुआ दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी यहीं है।

सदियों से इस क्षेत्र में रहते हुए थारू जनजाति के लोग वहां के वातावरण में घुलमिल गए हैं। उनकी सादगी, भोलापन, स्वातंत्रयप्रियता, जीवन की उमंग और कठिनाइयों और चुनौतियों का मुकाबला करने की सहज प्रवृत्ति इस वातावरण और जातीय परम्परा की देन है।

शहरी जीवन से दूर वनांत में खेतिहर जीवन बिताने वाले थारुओं का जीवन आर्थिक विकास की नई राह पर आगे बढ़ने को प्रयत्नशील है। इस विकास यात्रा में थारू जनजाति आर्थिक लाभ लेते हुए अपने विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक रूप को बनाए रखने को सचेष्ट है। इन जातियों के विकास की रूपरेखा का यह महत्वपूर्ण अंग है कि उनका सांस्कृतिक व्यक्तित्व अक्षुण्ण रखा जाए।

गत 10 वर्षों में थारू जनजाति के लोगों ने जो कि मूलतः खेतिहर हैं, अपने धंधे को सुधारने और उन्नत बनाने के लिए कदम उठाए हैं। उनमें शिक्षा के प्रसार के लिए कदम उठाए गए हैं। सहकारिता, पशुपालन और जल आपूर्ति के क्षेत्र में भी थारू इलाके में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

जन जातियों के विकास के लिए वर्ष 1980 से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा काम किया जाता रहा है किन्तु अप्रैल, 1980 से तराई अनसूचित जनजाति विकास निगम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस परिवर्तन का उद्देश्य यह था कि काम करने वाली इकाइयों को सही दिशा निर्देश दिया जा सके और संसाधनों तथा काम करने वालों को जुटा कर उनकी सहायता से कार्यक्रम चलाए जाएं जिनसे ठोस परिणाम मिल सकें।

दस वर्षों की इस अवधि में थारू जनजाति के लोगों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने में काफी काम हुआ है। पंचायत तथा सहकारी समितियों की सदस्य संख्या भी काफी बढ़ गई है जिनमें 436 अनुसूचित जनजाति और 84 अन्य सदस्य हैं। सामाजिक आवश्यकताओं एवं उपभोग हेतु 81,500 रुपये वितरित किए गए जिससे 150 अनुसूचित जनजाति के तथा 2 अन्य परिवार लाभान्वित हुए।

इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। थारू क्षेत्रों में 26 प्राइमरी स्कूल और एक जूनियर हाई स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा तथा 6 प्राइमरी स्कूल जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

यहां स्वयंसेवी संस्था भी उपयोगी काम कर रही है। इनमें सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसायटी की ओर से 5 बालवाड़ी केन्द्र इस क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। इन केन्द्रों में 1557 थारू व 143 अन्य विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। थारू लड़कों और लड़कियों के लिए दो आश्रम स्कूल और छात्रावास भी हैं जिनमें 40 शिक्षार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की गई है।

थारू क्षेत्र के सभी 41 गांवों में पेय-जल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कहीं कुएं खोदकर, कहीं लकड़ी-दार कुएं बनाकर तो कहीं हैंड पम्प लगाकर। इस क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा एक पशुपालन केन्द्र भी कार्यरत है।

थारू लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं। खेती को बढ़ावा देने की योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र में लघु सिंचाई, उन्नत बीज एवं उर्वरक आदि कृषि सुविधाओं का प्रसार किया जा रहा है। थारू जाति के लोग हिमालय की तराई क्षेत्र में फैले हुए हैं और सदियों से यहां रहते चले आए हैं। जनश्रुती के अनुसार मध्यकाल में राजपूतों ने मुगल सेना के अत्याचारों से रक्षा के लिए अपने परिवार की महिलाओं व बच्चों को नेपाल की सीमा से लगे इस विशाल वन प्रदेश में भेज दिया था जिससे वे आततायियों से बच सकें। इस जनश्रुति के सत्यासत्य की खोज समाजशास्त्र या नेतृत्व शास्त्र के विद्यार्थी के लिए शोध का रोचक विषय हो सकता है। किन्तु इन लोगों में प्रचलित कुछ रीति-रिवाज इस लोकमान्यता को पुष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए थारू समाज यद्यपि पितृ प्रधान है फिर भी परिवार में महिलाओं की प्रधानता है।

तराई के इस क्षेत्र के 41 गांवों में रह रहे थारू जनजाति के लोगों की आबादी करीब 15,000 है। इनमें मुख्य गांव हैं—सोनारपुर, चंदन चौकी, बनकटी, रामनगर, बेलापर-सुआ और मरियापारा।

थारू एक सुगठित सामाजिक इकाई के रूप में रहते हैं। इनकी उपजातियां-राना, कठरिया और डिगोरा हैं। सामाजिक महत्व की दृष्टि से भी इन जातियों का यही क्रम है। हर उपजाति का अपना एक विशिष्ट पहनावा है जिनमें रंगों और बनावट का अन्तर है। इन वर्गों में अलग तरह के गहने और मालाएं पहनी जाती हैं और महिलाओं का केश विन्यास भी भिन्न है। थारुओं में विवाह आदि सामाजिक नियमों का बड़ी दृढ़ता से पालन किया जाता है। समुदाय का सबसे बड़ा व्यक्ति मुकद्दम कहलाता है जिसे गांव का मुखिया कहते हैं। वह एक मित्र और दार्शनिक के रूप में गांव के लोगों का मार्गदर्शन करता है। परम्परागत जनजातीय पंचायत का भी वह प्रधान होता है। समुदाय के 5 सम्मानित सदस्य जिन्हें "भलोमानस" कहा जाता है, उनकी सहायता करते हैं। वे समुदाय के सभी वाद-विवादों की सुनवाई करके उनका निपटारा करते हैं। वे अपराधियों पर जुर्माना भी करते हैं। उनका फैसला अन्तिम होता है।

समाज के अन्य वर्गों की तरह थारू लोगों को भी देखभाल, प्यार और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अपने परम्परागत सांस्कृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण रखते हुए उन्हें यह सब उपलब्ध हो रहा है। □

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

सूर्य दत्त दुब

हमारे देश में बहुत समय से यह मांग की जाती रही है कि कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए और समेकित ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक समेकित एजेंसी होनी चाहिए। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी 1976 में यह सुझाव दिया था कि कृषि उधार का वित्त-प्रबंध करने के समूचे ढांचे को समेकित कर दिया जाए और शीर्ष संस्था के रूप में कृषि विकास बैंक की स्थापना की जाए। जनवरी, 1977 में तत्कालीन सरकार ने इस सुझाव को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया था। उसके बाद सरकार बदल जाने पर इस सुझाव को कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि नई सरकार इस सुझाव से सहमत नहीं थी कि बाद में इस प्रयोजन के लिए एक समिति नियुक्त की गई जिसने कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करने की सिफारिश की। इसी के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करने के लिए सरकार ने संसद के पिछले सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत किया जो अब अधिनियम का रूप ले चुका है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक शीर्ष बैंक होगा और भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक इसके संयुक्त रूप से स्वामी रहेंगे। कृषक पुनर्वित्त और विकास निगम को पूरी तरह से इस नए बैंक को अंतरित कर दिया जाएगा। यह राष्ट्रीय बैंक एक निधि की स्थापना करेगा जिसे राष्ट्रीय प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि कहा जाएगा। इस निधि से ऋण और अग्रिम राशियों के रूप में वित्तीय सहायता दी जायेगी। इसके अलावा यह बैंक एक राष्ट्रीय ग्रामीण प्रत्यय (स्थिरीकरण) निधि की भी स्थापना करेगा। इस निधि से संस्थाओं को ऋण तथा अग्रिम राशियां दी जाएंगी ताकि वे अल्पकालिक ऋणों को प्राकृतिक विपत्तियों आदि की स्थिति में दीर्घकालिक ऋण में परिवर्तित कर सकें।

इस बैंक के कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध एक निदेशक बोर्ड करेगा। अपने कृत्यों का निर्वहन करने में यह बोर्ड लोकहित का सम्यक् ध्यान रखते हुए कारबार के सिद्धांतों पर कार्य करेगा। बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :

(क) अध्यक्ष;

(ख) दो निदेशक, जो ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था, ग्रामीण विकास, हस्तशिल्प और ग्रामीण शिल्प, ग्रामीण और कुटीर उद्योग या ऐसे अन्य विषय के विशेषज्ञ होंगे जिनका विशेष ज्ञान या वृत्तिक अनुभव केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय बैंक के लिए उपयोगी समझे ;

(ग) तीन निदेशक, जिनमें से दो व्यक्ति सहकारी बैंकों के कार्यकरण का अनुभव रखने वाले होंगे और एक व्यक्ति वाणिज्यिक बैंकों के कार्यकरण का अनुभव रखने वाला होगा ;

(घ) तीन निदेशक रिजर्व बैंक के निदेशकों में से होंगे;

(ङ) तीन निदेशक केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों में से होंगे;

(च) दो निदेशक राज्य सरकार के पदाधिकारियों में से होंगे; और

(छ) एक प्रबंध निदेशक।

इस बैंक की पूंजी एक अरब रुपये होगी परन्तु केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करके और अधिसूचना द्वारा उक्त पूंजी को पांच अरब रुपये तक बढ़ा सकेगी। यह बैंक उपभोक्ताओं, कृषकों या जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं देगा। यह सामान्यतः राज्य सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा इस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य वित्तीय संस्था के लिए पुनर्वित्त का प्रबंध करेगा। यह केवल उन्हीं संस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा जिनका सरकार ने अनुमोदन कर दिया हो।

चूंकि यह बैंक रिजर्व बैंक से संबद्ध है, इसलिए इसका मुख्यालय भी बम्बई में रहेगा जहां पर कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। यह बैंक केवल कृषक पुनर्वित्त तथा विकास निगम के ही कार्य नहीं करेगा वरन् हथकरघा तथा हस्तशिल्प की जरूरतों को भी पूरा करेगा। वाणिज्यिक बैंक कार्य के लिये यह बैंक अपनी शाखाएं नहीं खोलेगा क्योंकि इस कार्य को वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही कर रही हैं।

इस बैंक को देश के अन्दर तथा देश के बाहर से धन उधार लेने की पर्याप्त शक्ति दी गई है। धन उधार लेने के संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सीमा केवल शेयर पूंजी के संबंध में रखी गई है। इसलिए इस बैंक द्वारा भावी जरूरतों को पूरा किए जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

यह बैंक राज्य सहकारी बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों, वित्तीय संस्था या वित्तीय संस्थाओं के किसी वर्ग के लिए पुनर्वित्त, पूर्ति, उधार और अग्रिमों के रूप में निम्नलिखित मदों के वित्तपोषण के लिए उपबंध करेगा :

((i) कृषि संबंधी कार्य अथवा फसलों का विपणन;

(ii) कृषि या ग्रामीण विकास के लिए वितरण ;

(iii) कृषि या ग्रामीण विकास की उन्नति के लिए या उस क्षेत्र में कोई अन्य क्रियाकलाप;

(iv) सद्भाविक, वाणिज्यिक या व्यापारिक संव्यवहार;

(v) कारीगरों के या लघु उद्योगों, छोटे और विकेन्द्रित सेक्टर में उद्योग, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के उत्पादन या विपणन क्रियाकलाप;

(vi) हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प में लगे उद्योगों के उत्पादन या विपणन क्रियाकलाप।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बैंक अपनी संक्रियाओं और ग्रामीण प्रत्यय के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं की संक्रियाओं का समन्वय करेगा और कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ कर्मचारिवृन्द रखेगा और केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में परामर्श देगा। यह ग्रामीण बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शिक्षण के लिए, जानकारी के प्रसार के लिए और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं का उपबंध भी करेगा और उक्त प्रयोजनों के लिए अनुदान देगा।

इस बैंक की स्थापना से समेकित ग्रामीण विकास की वृद्धि करने और ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति को सुनिश्चित करने में भारी सहायता मिलेगी। अब कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों तथा अन्य ग्रामीण शिल्पों और ग्रामीण क्षेत्र में अन्य सहयोगी आर्थिक क्रियाकलापों की उन्नति के लिए पर्याप्त राशि उधार मिल सकेगी। आशा है कि यह बैंक इस दिशा में हर संभव प्रयास करेगा कि ऋण वितरण के मामले में कहीं भी क्षेत्रीय असंतुलन न रहे। □

○ सूर्य दत्त दुबे
30 हौजरानी,
नई दिल्ली-110017

"पौधा लगाया था जिन्होंने, वे नहीं मौजूद हैं, पानी लगाया था जिन्होंने, वे भी किनारा कर गए, फूल आया, फल लगे पर, चखने वाले और हैं, ए ! चखने वालों फल चखो, पर पौधे को जर-जर ना करो।"

म०पा० सिंह

ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रबन्ध

*

के० वेंकट रेड्डी

रीडर, ग्राम विकास, श्री कृष्ण देवरिया
वि० वि० अनन्तपुर (आं० प्र०)

ग्रामीण विकास के लिए अन्य बातों के अलावा, ऋण सुविधाएं, विस्तार सेवाएं, विपणन आदि को समन्वित तरीके से उपलब्ध कराने की आवश्यकता है जिससे कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। ग्रामीण समाज में, खासकर कृषकों में, पर्याप्त ऋण की अच्छी मांग है। बढ़ती हुई आर्थिक चेतना, निम्न आय वर्ग और अन्य वर्गों की बढ़ती हुई क्रय शक्ति, नवीन भूस्वामियों के प्रादुर्भाव, नवीन कृषि प्रौद्योगिकी, मुर्गीपालन, डेयरी उद्योग आदि के प्रचलन से ऋण की मांग बढ़ी है। हाल के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों और अन्य ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। जून, 1969 के अन्त में देश में बैंकों की कुल 1832 ग्रामीण शाखाएं थीं जो कुल बैंक शाखाओं की 22.4 प्रतिशत है। अप्रैल, 1981 के अन्त तक यह संख्या बढ़ कर 17,230 पहुंच गई जो कुल शाखाओं का 49 प्रतिशत है। कृषि के लिए जून, 1969 में, जहां 188 करोड़ रुपये दिए गए, जो कि कुल अग्रिम का मात्र 5.2 प्रतिशत है, वहां जून, 1979 में कृषि के लिए 2,459 करोड़ रुपये दिए गए जो कुल अग्रिम का 12.5 प्रतिशत है। सहकारी समितियों द्वारा 1950-51 में कुल कृषि ऋण का 3.1 प्रतिशत भाग दिया गया जो कि अब बढ़ कर 30 प्रतिशत के लगभग पहुंच गया है। यह भी ज्ञातव्य है कि कृषि ऋण के विस्तार के साथ-साथ कृषि बकाया ऋण की मात्रा भी बढ़ती जा रही है।

ऋण का सदुपयोग

कृषि ऋण के विस्तार से किसानों की सभी श्रेणियों को ज्यादा उत्पादन में सहायता नहीं मिलती है। छोटे किसानों के मामलों को ही लें, प्रारम्भिक अवस्था में ऋण से इनका निर्वाह खर्च बढ़ता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उनमें गरीबी बहुत होती है और अन्न भंडार उनके पास नहीं होता। कुछ पारंपरिक और रूढ़िवादी सामाजिक संरचना के कारण भी पारिवारिक और धार्मिक कार्यों में ये लोग ज्यादा खर्च कर देते हैं। होता यह है कि अक्सर ये लोग पिछला बकाया चुकाने के लिए आगे नया ऋण उपयोग में ले लेते हैं। इस प्रकार यह देखना या एक सीमा रेखा खींचना बहुत मुश्किल है कि कौन सा ऋण उत्पादकता बढ़ाने के लिए है और कौन सा खर्च बढ़ाने के लिए? स्पष्ट है कि छोटे और सीमान्त किसानों में ऋण का दुरुपयोग एक दुष्कर समस्या है जिसे उचित ऋण प्रबन्ध के द्वारा ही हल किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए तो समय पर पर्याप्त ऋण व्यवस्था होनी ही चाहिए, परन्तु यदि यह ऋण अनुत्पादक कार्यों पर खर्च किया जाए तो इन लोगों के लिए ऋण ग्रस्तता का एक अतिरिक्त स्रोत बन जाता है। ऋण देने वाली संस्थाओं में पर्याप्त सामंजस्य के अभाव में यह देखा गया है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय पर ऐसी कई संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, ऋण प्राप्त करने में आने वाले खर्च से निपटने के लिए वह महाजन से भी कर्ज ले लेता है। देखा गया है कि ऋण के आवेदनों पर कई बार अच्छी प्रकार ध्यान नहीं दिया जाता और ऋण प्रबन्ध या तो अपर्याप्त होता है या होता ही नहीं। एक तथ्य और भी है कि बैंक जो ऋण प्रदान करते हैं वह नकद होता है न कि वस्तु के रूप में। जबकि ग्रामीण महाजन ऋण को नकदी और वस्तु दोनों रूप में प्रदान कर सकता है। महाजन यह भी जानता है कि लेने वाला चुका भी सकता है या नहीं। वह कर्ज देकर ही चुप नहीं बैठ जाता बल्कि यह भी देखता है कि उसके धन का सदुपयोग ही हो रहा है। वह उसे निर्देश और सलाह भी देता है तथा इस प्रकार वह एक अच्छा ऋण प्रबन्ध करता है और ऋण निरीक्षक की भूमिका निभाता है। इस प्रकार प्रभावी पर्यवेक्षण के अभाव में ऋण का दुरुपयोग अवश्यंभावी है। बिना सहायक सेवाओं के ऋण बिना सहायक ऐसी दवा है जो रोग से भी बदतर है।

ऋण प्रबन्ध

भारत जैसे विकासशील देश में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीण ऋण प्रबन्ध की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रबंधित ऋण द्वारा धन, तकनीकी सहायता और निर्देश उधारकर्त्ता को सुलभ कराए जाते हैं। एच० बलेशा ने काफी विस्तार से इसकी भूमिका के बारे में लिखा है। उनके शब्दों में "प्रबंधित ऋण एक तकनीकी शब्द है जिसके अन्तर्गत एक ऐसी ऋण प्रणाली का विवरण दिया जा सकता है जो परिवार की आर्थिक दशा सुधारने और उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य लिए हुए हो तथा उन्नत सेवाओं और विपणन व्यवस्था में समन्वय करती हो।" प्रबंधित ऋण ग्राम बैंक ऋणों से भिन्न है। ग्रामीण अभ्युदय का लक्ष्य प्रबंधित ऋण में अधिक केन्द्रित है। इस ऋण का

वास्तविक और प्राथमिक उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को लाभ पहुंचाना है। प्रबन्धित ऋण कार्यक्रम उन किसानों के लिए है जिन्हें अन्य स्रोतों से ऋण नहीं मिल पाता और जो इस सहायता से अपनी कृषि उपज में पर्याप्त सुधार ला सकते हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि ऋण लेने वाले के पास अपनी सम्पति हो। बल्कि देखा यह जाता है कि उसकी संभावित ऋण वापसी की क्षमता कितनी है। प्रबंधित ऋण कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है इसलिए यह आशा की जाती है कि ब्याज की दर में केवल दी गई राशि की लागत शामिल होगी तथा प्रबन्ध का खर्च सरकारी सहायता से चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए सुप्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इनमें महत्वपूर्ण कर्मचारी स्थानीय पर्यवेक्षक हैं जिसे ऋण प्राप्तकर्ता के साथ कार्य करना है, निर्देश देना है तथा ऋण का पर्यवेक्षण करना है। उसे कृषि का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए, कृषकों तथा उनकी समस्याओं में रुचि लेनी चाहिए और ग्रामीण लोगों में रहने की उसे इच्छा होनी चाहिए।

भारत जैसे विशाल देश में विस्तार सेवाओं के साथ-साथ इस कार्यक्रम को राष्ट्रव्यापी बनाना आसान कार्य नहीं है, परन्तु ऋण का कुशल प्रबन्ध आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव और अ-कृषि व्यवसायों के धीरे-धीरे समाप्त होने के कारण छोटी जोतों और खेतिहर व अर्द्ध खेतिहर श्रमिकों की संख्या अधिक से अधिक होती जा रही है। छोटी जोतों की यह संख्या 1970-71 में यहां 50.6 प्रतिशत थी वहीं 1976-77 में 54.6 प्रतिशत हो गई। खेतिहर और अर्द्ध खेतिहर परिवारों में 1964-65 और 1974-75 के दौरान क्रमशः 22.84 और 44.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यदि ग्रामीण विकास का वास्तविक अभिप्राय आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है तो इन्हें पर्याप्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। इन तबको में ऋण की मांग बहुत है परन्तु ये ऋण अपनी साधारण आवश्यकताओं के लिए व पुराने ऋण चुकाने में ज्यादा काम में लिए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि कुशल ऋण प्रबन्ध का अभाव रहेगा तो इन ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता की हालत अत्यन्त गंभीर हो जाएगी। भारत में महाजन, व्यापारी, धनिक और कमीशन एजेन्ट अभी भी कुल ग्रामीण ऋण के 50 प्रतिशत की आपूर्ति व व्यवसाय करते हैं। संस्थागत अभिकरणों जैसे सरकार, सहकारी समितियों, बैंकों आदि से प्रबंधित ऋण व्यवस्था प्रारंभ करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा व्यक्त किया गया है कि विस्तार सेवाओं के साथ ऋण प्रबंध का प्रावधान सरकारी प्रशासन और वित्तीय साधनों के बाहर है। ऐसी कई समितियों ने भी इस बात का प्रतिवाद किया है कि सरकार स्वयं किसानों को ऋण प्रदान करे। स्थानीय सहकारी समितियां इस स्थिति में हैं कि वे उचित प्रबन्ध के द्वारा ऋण का प्रभावी उपयोग करा सकती हैं। परन्तु अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति 1951-52 ने उल्लेख किया है कि सहकारी समितियों का वर्तमान ऋण प्रबन्ध दोषपूर्ण एवं असन्तोषजनक है। इसे प्रभावशाली बनाने के लिए इसको फसल उत्पादन कार्यक्रम से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। गहन कृषि जिला कार्यक्रम क्षेत्रों में कृषि योजनाओं पर आधारित ऋण प्रबन्ध का परीक्षण किया गया है। इस योजना में कृषि उत्पादन में आने वाले साधनों के लिए ही ऋण प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को दूसरे क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। प्रयोग किए गए क्षेत्रों के अनुभवों के आधार पर कार्यक्रम में संशोधन करके ऐसे क्षेत्रों में भी लागू किया जाए जो कम उपयोगी हो।

व्यावसायिक बैंक जो अब ऋण देने में गतिशील कार्य कर रहे हैं, अपने स्टाफ में तकनीकी विशेषज्ञों (कृषि स्नातकों) को विभिन्न पदों पर जैसे कृषि अधिकारी, ग्रामीण ऋण अधिकारी, ग्रामीण वित्त अधिकारी आदि के रूप में रखने लगे हैं। इन्हें किसानों का मार्ग दर्शन और ऋण प्रबन्ध करना होता है। पर देखने में यह आया है कि इन अधिकारियों का ज्यादा समय, ऋण के आवेदनों को जांचने, ऋण मंजूर करने व बांटने, अपने कार्य की रिपोर्ट केन्द्रीय कार्यालय में भेजने आदि में खर्च हो जाता है और किसानों की ओर कम समय दे पाते हैं। वैसे अभी स्टाफ की संख्या भी अपर्याप्त है। ग्रामीण समुदाय को जो ऋण प्राप्त होता है वह तकनीकी सहायता और समुचित प्रबन्ध रहित होता है। यह भी पता नहीं चल पाता कि सभी ऋण प्राप्तकर्त्ताओं को तकनीकी सहायता चाहिए या सभी ऋणों का दुरुपयोग करेंगे। फिर भी आवश्यक निगरानी वाला ऋण अच्छा प्रतिफल देने वाला होता है।

उपसंहार

ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त व समय पर संस्थानिक ऋण व्यवस्था एक आवश्यक शर्त है। परन्तु ऋण की शर्तें इतनी सख्त नहीं कि लेने वाले के "गले में फंदा" पड़ जाए। न ही बैंकों के हितों को बलि चढ़ाने वाली शर्तें होनी चाहिए। कृषि उत्पादन पर अच्छे प्रभाव के लिए ऋण का प्रावधान विस्तार सेवाओं और प्रबन्ध के साथ समन्वय किया हुआ होना चाहिए। सहकारी समितियां ऋण प्रबंध और ऋण प्रदान करने में अधिक सुविधाजनक हैं क्योंकि उनका स्थानीय आधार होता है। अच्छे प्रबन्ध के द्वारा वे लोगों पर बढ़ते हुए कर्ज में कमी ला सकती है। सरकार को भी इन समितियों के लिए संशोधित ऋण प्रबंध कार्यक्रम चलाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत वहां की जा सकती है जहां ये समितियां अपना कार्य दक्षता से कर रही हों। □

अनुवादक : हनुमान सिंह पवार
54, मंदिर वाली गली
युसुफ सराय
नई दिल्ली-110016

खुशहाली की राह पर

मण्डला से डिन्डोरी जाने वाली मुख्य सड़क से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित गांव भलवारा जो महदवानी विकास खण्ड में है, जिले के सबसे अन्त-राल क्षेत्रों में स्थित गांवों में से एक है। पथरीली पहाड़ियों के बीच बसे इस गांव को लगभग 500 की आबादी आदिवासियों की ही है। करीब एक साल पहले तक भलवारा भी ऐसे अनेक गांवों में से एक था जहां खेती मौसम की कृपा पर ही निर्भर रहती थी। भलवारा के पास एक नाला बहता है जिसे पीढ़ियों से लोग रेगाझोड़ो के नाम से जानते आए हैं। झोड़ो का मतलब है नाला। एक साल पहले यह किसी को पता नहीं था की रेगाझोड़ो जिसमें सामान्यत: साल भर पानी नहीं रहता था, एक दिन उनकी खुशहाली का सम्बल बनेगा।

बरसात में पहाड़ियों से बहा कर लाई मिट्टी से रेगाझोड़ो के दोनों ओर उपजाऊ जमीन की एक लम्बी पट्टी सी बन गई है जिसमें भलवारा के किसान कोदों, कुटकी, रमतिला जैसी हल्की फसल व कभी-कभार हल्के किस्म की धान भी पैदा कर लेते थे।

लगभग डेढ़ साल पहले भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत इस गांव के खेती योग्य रकबे में मिट्टी के बांध डालने का कार्य प्रारंभ किया गया। अपने क्रियात्मक अनुभव के आधार पर इस क्षेत्र में तैनात भूमि संरक्षण अधिकारी को लगा कि यदि रेगाझोड़ो पर छोटा बांध डालकर उसमें बहने वाले पानी को दोनों ओर फैले खेतों तक पहुंचा दिया जाए तो भलवारा की भूमि लहलहा उठेगी। उसने इसकी सम्भावनाओं की चर्चा गांव वालों से की। किन्तु जैसा कि अक्सर देखने में आता है, कि गांव के लोग निरक्षर भले ही हों, उनमें क्रियात्मक ज्ञान एवं सूझबूझ की कमी नहीं होती। इस प्रकार के प्रगतिशील विचारों वाले लोगों का नेतृत्व किया 40 वर्षीय सहजू परस्ते ने। प्रतिनिधि मण्डल जिलाध्यक्ष से मिला और आनन-फानन में उसकी कल्पना का साकार रूप सामने आने लगा। ग्रामीणों के सहयोग एवं आदिवासी उपयोजना से प्राप्त सहायता से रेगाझोड़ो पर निर्माण का काम प्रारंभ हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से तथा आदिवासी उपयोजना की सहायता से भलवारा गांव तक लगभग सात किलोमीटर का एक कच्चा पहुंच मार्ग भी बनाया गया। इसी रास्ते से निर्माण कार्य के लिए जरूरी सामग्री की ढुलाई की गई। कार्य इस गति से हुआ की पिछले खरीफ मौसम से ही खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा। नाले के दोनों ओर लगभग एक-एक किलोमीटर लम्बी नहरें बनाई गई। बरसात के बाद खेतों में आते हुए पानी से लोगों ने महसूस किया कि रेगाझोड़ो उनकी फसलों को नया जीवन देने में समर्थ है। दो फसलों में धान की फसल को बहुत फायदा पहुंचा। फसल इतनी अच्छी हुई कि कुछ किसानों ने तो अपने खाने-पीने के अतिरिक्त धान की बिक्री भी की जबकि इससे पहले सहजू परस्ते के शब्दों में, 'खेती से बीज का बीज ही मिलता था सिर्फ पैरा (पयाल) ब्याज में।'

सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाने पर रबी मौसम में किसानों ने गेहूं, चना, मटर आदि के साथ-साथ गन्ना भी लगाया। रबी के कटने के बाद अल्पकालीन सब्जी की फसलें भिण्डी, लौकी या मूंग आदि लगाने का निश्चय भी किया है। बरानी जमीन में कुछ किसान पपीते, केले आदि लगाने की भी सोच रहे हैं।

रेगाझोड़ो से खरीफ मौसम में 125 एकड़, रबी में 80 तथा रबी के बाद करीब 20 एकड़ भूमि में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। अभी तो इस लघु किन्तु महत्वपूर्ण योजना का प्रथम वर्ष ही है। भलवारा के लोगों में मेहनत करने की क्षमता तो थी ही, अब उनमें उत्साह तथा नवीन पद्धति एवं तकनीक अपनाने की ललक भी देखने को मिलती है।

सामुदायिक प्रयास

आर्थिक उन्नति के लिए सामुदायिक प्रयास का एक छोटा किन्तु सुसंगठित एवं सुनियोजित उदाहरण गांव भैसादाह, ब्लाक एवं जिला मण्डला के ग्रामीण प्रस्तुत कर रहे हैं। गांव भैसादाह मण्डलों से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा पार स्थित है बरसात में नर्मदा जब पूरी उफान पर होती है, भैसादाह में उसकी गर्जना स्पष्ट सुनाई देती है। यही कोई 40-45 आदिवासी परिवारों का यह गांव विकास की किरणों से अभी तक अछूता रहा है। विकास के नाम पर नर्मदा की दूसरी ओर से उसके किनारे-किनारे जंगलों एवं नालों से होता हुआ एक कच्चा रास्ता ही गांव तक पहुंच पाया है।

गांव की कृषि योग्य भूमि जो डेढ़-दो सौ एकड़ के लगभग होगी, बरसाती पानी के बहाव में उपजाऊ मिट्टी के लगातार बहते रहने के कारण कमजोर होती जा रही थी। शासन की भूमि संरक्षण योजना अभी इस गांव तक नहीं पहुंची है। मण्डला के एक स्वयं-सेवी आदिवासी कार्यकर्ता हिम्मतसिंह परतेती एक बार जिला अधिकारियों को लेकर इस गांव में पहुंचे। जैसा कि अक्सर होता है उच्च अधिकारियों के आने पर लोगों ने गांव की तकलीफें उनके सामने रखीं। प्रमुख समस्या थी भूमि के कटाव की जिला अधिकारी ने कहा जमीन के कटाव की समस्या गांव वालों की समस्या है। अगर गांव वालों की समस्या है तो क्यों

नहीं गांव वाले स्वयं इसके लिए कार्य करते ? आखिर दो हाथ और दो पांव ही तो चाहिए खेतों में बांध डालने के लिए, ताकि जमीन का कटाव रुक सके। गांव वालों को बात जंच गई। निश्चय किया गया कि गांव के पूरे रकबे पर मिट्टी के बांध डाले जाएं किन्तु यदि किसान अलग-अलग अपने-अपने खेतों पर मिट्टी डालेंगे तो समय भी अधिक लगेगा और काम अधूरा रह जाने पर बरसात में किए कराए काम के बह जाने की आशंका भी है। फिर क्यों न मिल-जुल कर काम किया जाए ? लेकिन सबसे बड़ा सवाल था सबसे पहले किसके खेत में मेड़ डालो जाए। उसके खेत में जिसको सबसे अधिक जरूरत है। सबसे छोटे किसान के खेत में सबसे पहले मेड़ डाली गई फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े और इसी तरह धीरे-धीरे खेतों के पूरे रकबे में मेड़ों का जाल बिछा दिया गया है।

सप्ताह में दो दिन हर परिवार से नियमित रूप से एक व्यक्ति खेतों में काम करने आता है। सब किसान पूरी लगन और मेहनत तथा सामुदायिक भावना से काम करते हैं इस प्रकार संरक्षित भूमि में ग्रामीणों ने सिंचाई के लिए श्रमदान से कुआ खोदने का निश्चय भी किया है। कुएं को पक्का बनवाने के लिए शासन की सहायता का आश्वासन मिल गया है। भैसादाह के ग्रामीणों के सामुदायिक प्रयास एवं शासन के सहयोग से जहां भूमि क्षरण को रोका जा सका वहां सिंचाई की व्यवस्था से फसल भी दुगनो तिगुनी हो सकेगी।

श्रमदान का करिश्मा

धुरेरा ग्यारसपुर विकास खंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर पांच सौ की आबादी वाला गांव है। गांव के युवा सरपंच श्री नरेन्द्रसिंह ने बताया कि कुछ साल पहले बारिश में यह गांव शेष दुनिया से कट जाता था। गांव की नदी इस गांव को बाहरी दुनिया से अलग-थलग कर देती थी। मैंने गांव वालों से कहा "यदि आप लोग मेरा साथ दें तो हम सब मिल कर यहां मिट्टी का बांध बना सकते हैं। उससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन गांव के बड़े-बूढ़ों का कहना था कि नदी के साथ छेड़खानी करना ठीक नहीं है। यदि हम उस पर रपटा बना लें तो वह कहर ढा देगी। सरकार को ही करने दो।"

नरेन्द्रसिह ने उन्हें समझाया। लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। शहर के अन्य लोगों पर भी बुजुर्गों की बात का उल्टा असर हुआ। उन पर अब दोहरी जिम्मेवारी थी। लोगों में फैले उल्टे प्रचार को दूर करने तथा ऐसे नवयुवकों की एक टोली तैयार करने को जो इस काम को तन-मन-धन से पूरा कर सकें।

नरेन्द्रसिह ने गांव के नवयुवकों से बात की। उन्होंने युवक सभा को संबोधित करते हुए अत्यंत आश्वस्त वाणी में कहा "यदि आप लोग इस काम के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं और मेरी पत्नी अकेले वहां जाएंगे और इस काम को पूरा करेंगे, चाहे इसमें मुझे सालों लग जाएं।"

गांव के नौजवानों ने उनकी आवाज को पहचाना। उनकी आंखों में तैर रहे संकल्प को पहचाना और वे सब अपने-अपने हाथों में सब्बल, धमेंले और कुदालियां लेकर पहुंच गए और वह मिट्टी का बांध बनकर तैयार हो गया। आज धुरेरा, सारी दुनिया से कटा हुआ गांव नहीं हैं। अब उस मिट्टी के बांध पर से बारिश में भी बड़े-बड़े ट्रक गुजर जाते हैं, लोगों की आवाज ही बनी रहती है, खाने पीने के सामान की कमी नहीं पड़ती। लोगों को विश्वास नहीं हो सकता कि कभी यह गांव दुनिया से इतना कटा हुआ था।

सड़क निर्माण

तामिया से 14 किलोमीटर दूर पहाड़ियों की गोद में बसा बखारी गांव हिम्मत और साहस का एक अनूठा उदाहरण पेश करता है। बखारी गांव की आबादी करीब 300 है यहां सभी घर आदिवासियों के हैं। यह एक अत्यंत पथरीला इलाका है और काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है।

अरसे से वे शासन से 5 किलोमीटर सड़क बनाने का आग्रह करते आ रहे हैं। अंततोगत्वा वहां के श्री जयसिंह पटेल ने गांव वालों को बताया कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होने की दिशा में सोचना होगा। हर बात के लिए सरकार का मुंह देखना ठीक नहीं होता। आखिरकार, गांववालों के गले में यह बात उतरी और उन्होंने कालीमाता के सामने जाकर सड़क बनाने की कसम खाई। उसके बाद तो लोगों पर जैसे एक जुनून सा छा गया और उन्होंने श्रमदान से 5 किलोमीटर सड़क बनाकर दिखा दो। □

प्रादेशिक अधिकारी
गोविन्द दास वेलिया
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, छिन्दवाड़ा

छोटा परिवार

सुखी परिवार

केन्द्र के समाचार

पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र में कृषि अनुसंधान कार्य

वर्तमान योजना में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के अनुसंधान, शिक्षा तथा विस्तार शिक्षा के लिए कुल 340.00 करोड़ रु० की व्यवस्था है। जिसमें से 220.00 करोड़ रु० जो कि कुल परिव्यय का 65 प्रतिशत है, केवल कृषि, पशु पालन तथा मत्स्य पालन विज्ञान के अनुसंधान के लिए जो प्रत्यक्ष रूप से परिषद् द्वारा चलाए जाते हैं, नियत किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि में अनुसंधान करने हेतु कृषि अनुसंधान करने वाले कृषि विश्वविद्यालयों की सहायता के लिये 48.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस योजना में आदिवासी क्षेत्र में सुधार के लिए अनुसंधान की भी व्यवस्था की गई है। आदिवासी क्षेत्र में जो अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, कृषि में अनुसंधान हेतु 18.00 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना

केन्द्र ने राज्यों को चालू उत्पादकता वर्ष के दौरान देश की कुल 97 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि में से कम से कम 5 प्रतिशत भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने को कहा है। राज्यों को इस बारे में जिला स्तर, खण्ड स्तर और ग्राम स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करने को कहा गया है। राज्यों को लिखे एक पत्र में कृषि और सहकारिता सचिव, श्री एस० पी० मुखर्जी ने कार्यक्रम को ठीक ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है और इस दिशा में हुई प्रगति से केन्द्र को अवगत कराने को कहा गया है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एक वर्ष से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहने वाली 97 लाख हेक्टेयर भूमि में से 91 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि 14 राज्यों में है। ये राज्य हैं:— आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब देश के सभी 5011 विकास खण्ड शामिल कर लिए गये हैं। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी समाप्त करने का एक प्रमुख साधन बन गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक खण्ड में औसतन 600 परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक खण्ड में तीन हजार परिवारों को सहायता दी जाएगी और 1985 के अन्त तक कम से कम डेढ़ करोड़ परिवार गरीबी के स्तर से ऊपर उठकर बेहतर जीवन बिताने लगेंगे।

इस कार्यक्रम पर 4,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसमें से केन्द्र 1,500 करोड़ रुपये की सहायता देगा और राज्य पचास-पचास प्रतिशत के आधार पर राशि उपलब्ध कराएंगे। लाभान्वित परिवारों द्वारा हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं पर जितना खर्च आएगा उसके लिए 25 से 50 प्रतिशत तक की सहायता बैंकों को उपलब्ध करानी होगी।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, जन-जातियों, कृषि और गैर-कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, सीमांत और लघु किसानों के बीच गरीब से गरीब लोगों को आर्थिक गतिविधियों से सम्बद्ध कार्य हाथ में लेने पर सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। जिस परिवार की वार्षिक आय सभी साधनों को मिलाकर 3500 रु० से कम होगी उसे ही गरीबी की रेखा से नीचे माना जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, रेशम उत्पादन, मछली पालन, बागबानी, लघु और कुटीर उद्योग और ऐसी अन्य सेवायें तथा कारोबार की गतिविधियां शामिल हैं जो लक्षित परिवारों की आय में वृद्धि कर सकती हैं।

ग्रामीण आवासीय योजनाएं

छठी योजना में इस बात पर विचार किया गया है कि ग्रामीण भूमिहीन कामगारों को आवास-स्थल तथा निर्माण सहायता योजना के अन्तर्गत 36 लाख परिवारों को, जो भूमिहीन परिवारों की कुल संख्या का लगभग 25 प्रतिशत है, निर्माण सहायता प्रदान की जाए। इस योजना का कार्यान्वयन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अंग के रूप में किया जा रहा है। इसके प्रभावी तथा समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु इसे नए 20-सूत्री कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दें और आवास तथा नगर विकास निगम, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा अन्य संस्थानों से उपलब्ध संसाधनों का पूरा-पूरा लाभ उठाकर पर्याप्त बजट प्रावधान सुनिश्चित करें। उनसे यह भी आग्रह किया गया है कि वे धन, सामग्री, कार्मिकों की उपलब्धता तथा कानूनी समस्याओं के संदर्भ में समन्वित कार्यान्वयन तथा सतत् प्रयोजन के लिए विशेष कक्ष गठित करें।

काली मिट्टी की उर्वरता

काली मिट्टी वाले क्षेत्र में किए गए परीक्षणों से यह पता चला है कि उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाकर सामान्य रूप से अच्छी जल निकास वाली गहरी काली मिट्टी

पर ज्वार, कपास और गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र करीब 76.4 मिलियन हेक्टेयर है। यह क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मोटे तौर पर 22.2 प्रतिशत है जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिल नाडु, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार में है। काली मिट्टी पर फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के उपयुक्त पैकेज विकास करने हेतु क्षेत्र परीक्षण किए जा रहे हैं।

काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों के मदा-विभागों द्वारा काली मृदाओं के प्रबंध पर भी कार्य किया जा रहा है। हैदराबाद स्थित अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबन्ध के अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान भी (आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी०) सोरधम, बाजरा, अरहर, चना और मूंगफली के उत्पादन में सुधार लाने और उसे स्थिर करने के लिए फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है।

चावल की खरीद

वर्ष 1981–82 के विपणन मौसम के दौरान अब तक कुल मिलाकर 65.10 लाख मी० टन चावल की खरीद की जा चुकी है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में की गई वसूली से यह 15 लाख मी० टन अधिक है। अब तक एक वर्ष में सबसे अधिक चावल की खरीद वर्ष 1978–79 में की गई थी। उस वर्ष 63.34 लाख मी० टन चावल की वसूली की गई थी।

शुष्क भूमि पर खेती

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे सूखाबहुल क्षेत्रों में सूखाबहुल क्षेत्र कार्यक्रम के लिए उपलब्ध धनराशि से शुष्क भूमि में उन्नत किस्म की खेती करने के कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाएं।

राज्यों को भेजे गए एक संदेश में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस संबन्ध में मार्ग निर्देश भेजे हैं जिसमें प्रत्येक लगभग 100 एकड़ क्षेत्र का एक ठोस खंड चुनने की व्यवस्था है जहां पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जा सके। इसका उद्देश्य उपलब्ध जल तथा नमी जैसी संसाधनों का भरपूर उपयोग करना है।

जिन-जिन क्षेत्रों में प्रोद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया है वहां हुई पैदावार की तुलना उससे पहले हुई पैदावार से की जाएगी तथा नई प्रौद्योगिकी की क्षमता तथा महत्व की जानकारी स्थानीय किसानों को दी जाएगी।

इस पत्र में जिसमें योजना तैयार करने में काफी लचीला रुख अपनाने की छूट दी गई है राज्य सरकारों से नीचे के स्तर तक एक उद्देश्य उन्मुख संगठन तैयार करने तथा सफलताओं और असफलताओं का निष्पक्ष मूल्यांकन करने को कहा गया है।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 राज्यों के अन्तर्गत 73 जिलों के 554 ब्लाक शामिल हैं। ये 13 राज्य हैं:–– आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। छटी योजना में इस कार्यक्रम के लिए 175 करोड़ रुपये रखे गए हैं और इसमें से केन्द्र तथा राज्य सरकारों का आधा-आधा हिस्सा है।□

रोजगार : आर्थिक और सामाजिक पहलू . . . . [पृष्ठ 19 का शेषांश]

प्रावधान किया गया है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:––

(अ) ग्रामीण लोगों द्वारा महसूस की गई महत्वपूर्ण समस्याओं का पता लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना तथा विभिन्न संगठनों द्वारा अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के लिए निधियां जुटाना;

(ब) अनुसंधान तथा विकास की वर्तमान संस्थाओं को सुदृढ़ करना अथवा नई संस्थाओं को स्थापित करना ताकि पूर्णत: ग्रामीण हित के मामलों में संबंधित राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं स्थाप्ति की जा सकें;

(स) सूचना-गृह तथा आंकड़े उपलब्ध करने वाले बैंक के रूप में कार्य करना;

(द) औजारों तथा उपकरणों तथा फालतू पुर्जों के निर्माण-कर्ताओं को ग्रामीण प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देना ताकि निजी सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में तकनीकी रूप में सुधरी मशीनरी आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके;

(य) सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा जनता के लोगों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए चैनल के रूप में कार्य करना;

(र) प्रशिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित अथवा प्रायोजित करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लाभभोगियों को सुधरी प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की जा सके;

(ल) उपयुक्त प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में अनुसंधान अध्ययन सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन करना।

(ii) ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास हेतु परिषद् कृषि विश्व-विद्यालयों, भारतीय प्रबंध संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, स्वैच्छिक संगठनों, वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों, उपकरण विनिर्माताओं, कृषि उद्योग निगमों आदि के साथ भी कार्य करेगी उसका राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर आदि के साथ भी सम्पर्क रहेगा।□

बायो (गोबर) गैस द्वारा अधिक उत्पादन एवं बेहतर जीवन

कृषि मंत्रालय बायो गैस विकास परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। छठी योजना के दौरान 4 लाख बायो गैस यूनिट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बायो गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है :

बायो गैस संयत्र का आकार	अनुसूचित जन जातियों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए	छोटे और साधारण किसानों के लिए	अन्यों के लिए
2 घन मीटर	1,500 रु०	1,000 रु०	750 रु०
3 घन मीटर	1,950 रु०	1,300 रु०	1,000 रु०
4 घन मीटर	2,300 रु०	1,500 रु०	1,200 रु०
6 घन मीटर	2,900 रु०	1,900 रु०	1,500 रु०

—बड़े आकार की बायो गैस यूनिटों के लिए भी केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है।

—सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बायो गैस यूनिटों के निर्माण के लिए ऋण की व्यवस्था है।

बायो गैस यूनिटें खाद, ईंधन और रोशनी पैदा करती हैं और सफाई व्यवस्था में सुधार लाती हैं

—अधिक जानकारी के लिए खंड विकास अधिकारी/जिलाधीश का कार्यालय/खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय/स्थानीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग कार्यालय और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार के कृषि विभागों तथा विशेष योजना संगठन, कृषि विभाग राजस्थान से सम्पर्क करें।

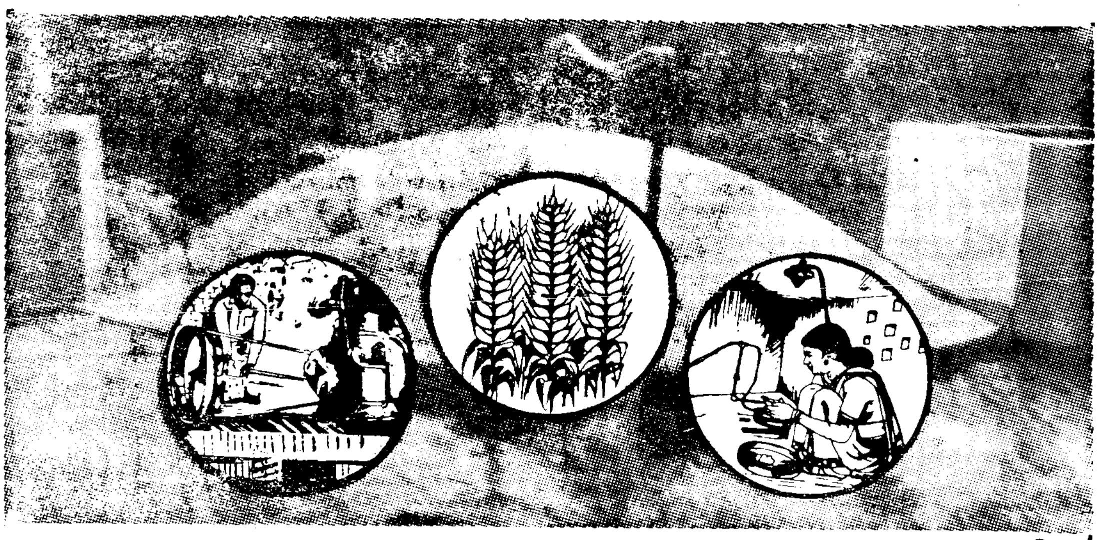

कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा जारी

davp 81/370

सहकारिता की दिशा में

एक उल्लेखनीय उपलब्धि

सहकारिता की दिशा में इन दिनों नित नए प्रयोग हो रहे हैं। सर्वोन्मुखी विकास के लिए सहकारिता अब एक आवश्यक माध्यम हो गई है। सरकार और समाज का ध्यान भी इधर आ गया है और इसीलिए सहकारिता के क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां सामने आ रही हैं।

समाज का सम्पन्न वर्ग अपने साधनों के माध्यम से कुछ कर गुजरता है, किन्तु साधनहीन लोगों को कोई भी बड़ा काम करने के लिए एक दूसरे का सहयोग आवश्यक हो जाता है। गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग सहकारिता के माध्यम से इतना कुछ कर लेते हैं, जिसका सपना भी वे अकेले रहकर नहीं देख सकते।

राजनांदगांव की सामान्य परिवार की महिलाओं ने इसी तरह का उल्लेखनीय काम कर दिखाया है। राजश्री महिला गृह उद्योग सहकारी समिति के माध्यम से इनके प्रयास को देखकर प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। इन्होंने घरेलू रोजमर्रा की चीजों का उत्पादन का बीड़ा उठाया है। हल्दी, मिर्च, मसाला, बड़ी-पापड़, शर्बत और रेडी-मेड ड्रेस बनाकर उसे उचित कीमत पर घर-घर पहुंचाना इनका काम है।

अध्यक्षा कुमारी रोजलीन फर्नान्डीज, सचिव कुमारी रजनी श्रीवास्तव और व्यवस्थापिका कुमारी मंजूला नेत्रप्रभा के साथ-साथ उनकी लगभग 30 सदस्याएं इस कार्य में लगी हुई हैं। 6 लड़कियों को इससे रोजगार प्राप्त हुआ है और शेष का सामूहिक सहयोग है और सभी सदस्या हैं, इसलिए इन्हें सामूहिक लाभ भी मिल रहा है। यह संस्था अभी 1000 से 1200 रुपये का मासिक उत्पादन कर रही है।

अध्यक्षा कुमारी फर्नान्डीज ने बताया कि इस उद्योग की प्रेरणा हमें उद्योग विभाग से मिली। हमने लगभग 20 सदस्याएं मिलकर पांच हजार रुपये की लागत पूंजी से विगत 31 मार्च 1978 को इसका प्रारंभ किया और आज लगभग तीन वर्षों बाद यह उद्योग 20 हजार का हो चुका है। इस बीच शासन से आठ हजार रुपये का अनुदान भी मिला है।

कु० रजनी श्रीवास्तव (सचिव) ने बताया कि भविष्य में बेकरी, साबुन और मोमबत्ती के उत्पादन की हमारी योजना है। किन्तु इसमें कुछ तकनीकी कठिनाईयां हैं जिन्हें दूर करने में हम अधिकारियों का सहयोग ले रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हम वर्तमान वस्तुओं का उत्पादन काफी मात्रा में कर सकते हैं, किन्तु हमें बाजार नहीं मिल रहा है। बिक्री का हमारे पास उचित माध्यम भी नहीं है। उपभोक्ता भंडार राजनांदगांव और मोहला, मानपुर, चौकी की सहकारी दुकानों से ही कुछ सामान बिक जाता है। अभी व्यापक प्रचार की कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं।

पोषण आहार

पोषण आहार के अन्तर्गत इस समिति द्वारा 5 केन्द्र चलाए जा रहे हैं। राजनांदगांव के विकास खण्ड अधिकारी श्री एस०एल० वर्मा ने बताया कि पिछले दिनों म०प्र० के विकास आयुक्त श्री डी०जी० भावे ने अपने राजनांदगांव प्रवास के समय इस संस्था का निरीक्षण किया और वे इस संस्था से बहुत प्रभावित हुए तथा उनके निर्देश पर मई माह से इस संस्था को 5 और केन्द्रों के पोषण आहार कार्यक्रम का कार्य सौंपा जा रहा है। 10 केन्द्र हो जाने से जहां कुछ और लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं संस्था की वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी। अभी पोषण आहार से इस संस्था को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है।

ट्राइसेम योजना

श्री एस०एल० वर्मा ने बताया कि ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत इस संस्था को सिलाई और मसाला प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया है। 18 सिलाई प्रशिक्षित महिलाओं में से 13 को सिलाई मशीन प्रदान कर रोजगार प्रदान किया गया है तथा 8 अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। मसाला प्रशिक्षण के अन्तर्गत 22 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

इस तरह राजश्री महिला गृह उद्योग सहकारी समिति निरन्तर प्रगति की और अग्रसर हो रही है। इसे पर्याप्त सहयोग और महत्व मिलना चाहिए। संस्था की पदाधिकारी महिलाएं अपने इस कार्य के प्रति गौरवान्वित हैं और अन्य लोगों को सहकारिता के माध्यम से कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। □

सरोज द्विवेदी
15/1 दिग्विजय पथ, सुनार पारा,
राजनांद गांव (म० प्र०)

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद, द्वारा मुद्रित

RN 708/57
P & T Regd. No D (DN) 98
Licenced under U (D)-55 to
post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi.

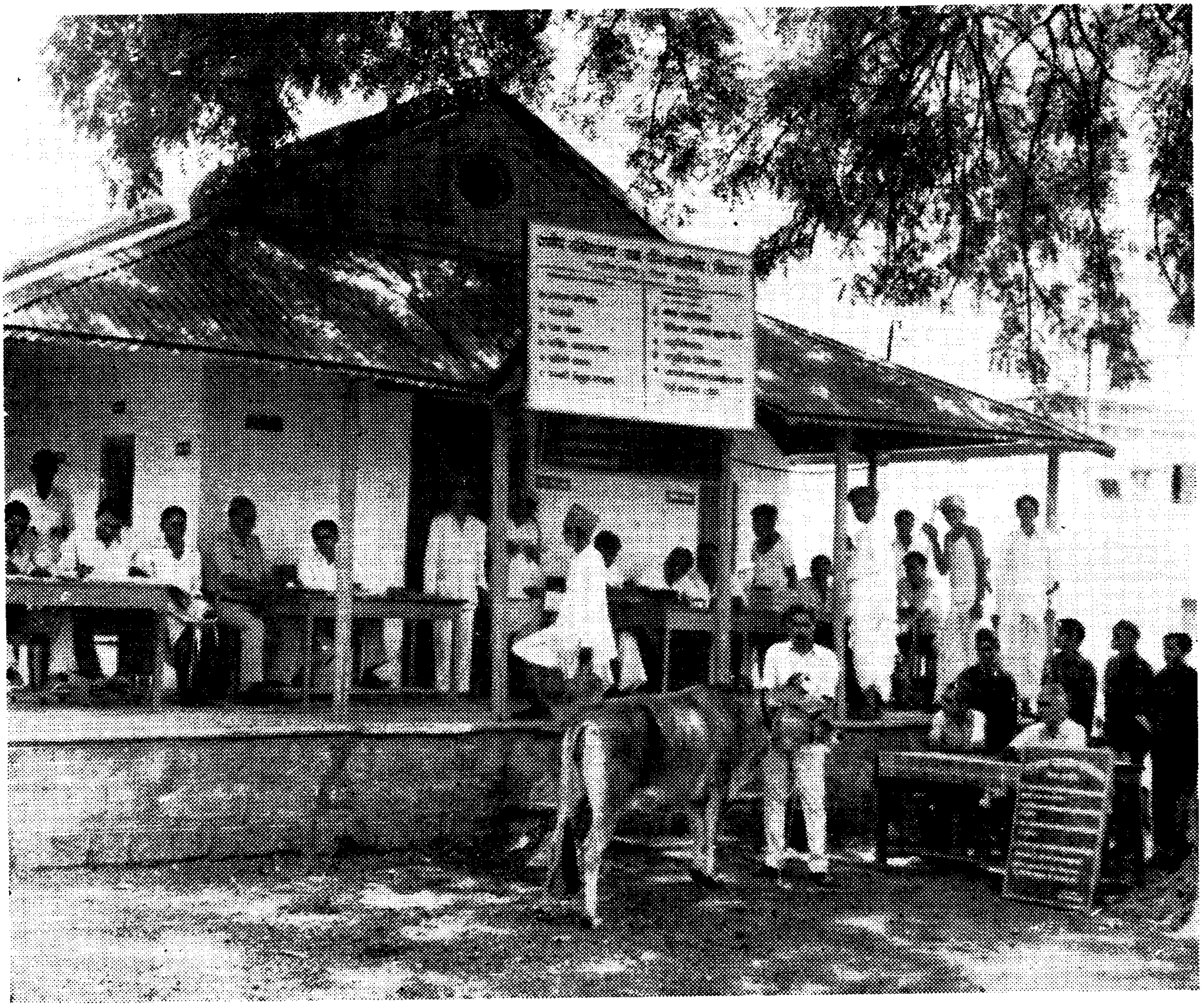

देश में पंचायती राज का उद्देश्य ग्रामवासियों को ग्राम्य विकास कार्यों में शामिल करना, विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में उनका सहयोग लेना तथा उनके रूढ़िग्रस्त दिमागों में परिवर्तन लाना है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पंचायतें अपने इस उद्देश्य में पूर्णतया सफल हैं परन्तु ये गांवों में सफाई, स्वच्छता पेयजल की व्यवस्था, हारी-बीमारी की रोक-थाम तथा गांवों के झगड़े टंटे निपटाने आदि कार्यों में ग्राम विकास कार्यकर्ताओं को कारगर सहयोग दे रही हैं। चित्र में दी गई पंचायतों ने ग्राम-विकास कार्यों में अहम् भूमिका निभाई है।